6. निर्माण सम्बन्धी सेवाएँ (Contruction Services)

प्रविष्टि संख्या	सेवाओं का विवरण
10	किसी सिविल संरचना व्यक्तिगत हितधारी व्यक्ति की मकान सम्पत्ति सम्बन्धी अथवा सबके लिए मकान मिशन अथवा प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन अभिवृद्धि सम्बन्धी मौलिक कार्य के सम्बन्ध में निर्माण, इरेक्शन, कमीशनिंग, स्थापना पूर्णता फिटिंगआउट, मरम्मत अनुरक्षण, नवकरण या परिवर्तन के लिए शुद्ध श्रम पूर्ति अनुबन्ध के रूप में प्रदत्त सेवाएँ।
10A	कृषि प्रयोग हेतु कृषक या किसान के ट्यूबवेल तक बिजली वितरण नेटवर्क, विस्तारण हेतु निर्माण, इरेक्शन, कमीशनिंग या मूलभूत संरचना की स्थापना के माध्यम से बिजली वितरण उपयोगिता द्वारा प्रस्त सेवाएँ।
11	आवासीय परिसर के भाग रूपी को छोड़कर एकल रिहायशी इकाई के निर्माण इरेक्शन,कमीशनिंग या स्थापना के मौलिक कार्य सम्बन्धी शुद्ध श्रम अनुबंध के रूप में प्रदत्त सेवाएँ।
41A और 41B	**एक डेवलपर को भूमि मालिक द्वारा भूमि की TDE, FSR लंबी अवधि के पट्टे (प्रीमियम) की आपूर्ति इस शर्त के साथ छूट दी जाती है कि निर्माण किए गए फ्लैट पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने से पहले बेचे जाते हैं और उन पर कर का भुगतान किया जाता है।** **TDR, FSI लंबी अवधि के पट्टे (प्रीमियम) की छूट होगी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद बेचे गए फ्लैटों के मामले में, लेकिन ऐसी निकासी किफायती घरों के मामले में मूल्य के 1% और सस्ती मकानों[17] के अलावा अन्य मामलों में 5% मूल्य तक सीमित होगी)।**

विश्लेषण (Analysis)

सभी के लिए आवास (शहरी) योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना (इसके पश्चात् PMAY के रूप में परिभाषित) एक कार्यक्रम है जो आवासीय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन (MOHUPA)मंत्रालय द्वारा प्रक्षेपित है, जो 2022 तक सभी के लिए घर के प्रावधान की कल्पना करता है, जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर लेगा।

यह मिशन अन्य चीजों के अतिरिक्त निम्न के माध्यम से झुग्गी सहित शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकता को पूर्ण करने का प्रयास करता है।

[17] These entries have been stated in simplified form.

© The Institute of Chartered Accountants of India

- ❒ भूमि को एक संसाधन के रूप में प्रयोग द्वारा निजी विकास कर्ताओं के सहयोग सहित झुग्गियों का पुनर्वासन।
- ❒ क्रेडिट से जुड़े हुए अनुदान के माध्यम से कमजोर वर्ग हेतु वहनीय आवास को प्रोत्साहन।
- ❒ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों सहित साझेदारी में वहनीय आवास।
- ❒ लाभान्वित स्वतंत्र आवास निर्माण/सुधार हेतु अनुदान

इस योजना का अंतिम घटक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणियों से सम्बन्धित स्वतंत्र योग्य परिवारों को सहायता प्रदान करना है जिससे या तो वे नवीन अवासों का निर्माण कर सकें या आवासों का नवीनीकरण उन लाभप्राप्ताओं हेतु जो योजना के अन्य घटकों का लाभ लेने हेतु योग्य नहीं है। ऐसे परिवार योजना के अंतर्गत नवीन आवासों के निर्माण या विद्यमान प्रयोगकर्ताओं के नवीनीकरण हेतु केन्द्रीय सहायता की विशिष्ट राशि प्राप्त कर सकते हैं।

अधिसूचना की प्रविष्टि 10 किसी सिविल संरचना व्यक्तिगत हितधारी व्यक्ति की मकान सम्पत्ति सम्बन्धी अथवा सबके लिए मकान मिशन अथवा PMAY योजना के अधीन अभिवृद्धि सम्बन्धी मौलिक कार्य के सम्बन्ध में निर्माण, इरेक्शन, कमीशनिंग स्थापना पूर्णता फिटिंगआउट मरम्मत अनुरक्षण, नक्करण या परिवर्तन के लिए शुद्ध श्रम पूर्ति अनुबन्ध के रूप में प्रदत्त सेवाओं को GST से विमुक्त करती है।

'मौलिक कार्य' शब्द का अर्थ सभी नवीन निर्माणों से है

- भूमि पर परित्यक्त या क्षतिग्रस्त संरचनाओं में सभी प्रकार की वृद्धियाँ एवं जुड़ाव जो उन्हें कार्य योग्य बनाने हेतु आवश्यक हों,
- संयंत्र, मशीनरी या उपकरण या संरचनाओं के इरेक्शन, कमीशनिंग या स्थापना, चाहे पूर्वनिर्माण हो या अन्यथा।

अधिसूचना की प्रविष्टि 11 आवासीय परिसर के भाग रूपी को छोड़कर एकल रिहायशी इकाई के निर्माण, इरेक्शन, कमीशनिंग या स्थापना के मौलिक कार्य सम्बन्धी शुद्ध श्रम अनुबन्ध के रूप में प्रदत्त सेवाओं की GST से विमुक्त करती है।

'आवासीय परिसर' शब्द का अर्थ एक से अधिक आवासीय इकाई वाले भवन या भवनों को शामिल किए हुए किसी परिसर से होता है। साथ ही 'एकल आवासीय इकाई' का आशय एक स्वयं–निहित आवासीय इकाई से जिसे पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से एक परिवार हेतु आवासीय उद्देश्यों के लिए प्रयोग हेतु बनाया गया है।

7. यात्री परिवहन सेवाएँ (Passenger Transprotation Services)

प्रविष्टि संरचना	सेवाओं का विवरण
15.	अपने सामान के साथ अथवा उसके बिना, यात्री परिवहन सेवाएं : (a) अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैण्ड, सिक्किम, या त्रिपुरा अथवा पश्चिम बंगाल स्थित बागडोगरा स्थित किसी हवाई अड्डे से उड़ने

© The Institute of Chartered Accountants of India

	वाली अथवा समापन वाली वायु सेवा; (b) गैर वातानुकूलित माल परिवहन (रेडियो टैक्सी को छोड़कर) यात्री परिवहन के लिए, जिसमें पर्यटन, आयोजित यात्राएं, चार्टर या किराये पर सेवा शामिल नहीं है; अथवा (c) पड़ाव परिवहन सेवाएं, वातानुकूलित पड़ाव परिवहन को छोड़कर
16.	हवाई मार्ग से साथ में सामान सहित अथवा उसके बिना यात्री परिवहन के रूप में केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त सेवाएं, वायेविलिटी गैप फन्डिंग रूपी प्रतिफल के लिए जो RCS (रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम) हवाई अड्डे हैं अथवा समाप्त होती है। तथापि, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित RCS परिचालन प्रारम्भ की तिथि से 3 वर्ष की अवधि पश्चात् इस प्रविष्टि में उल्लिखित कोई प्रावधान प्रभावी नहीं होगा।
17.	यात्री परिवहन की सेवाएं निम्नांकित माध्यम से, साथ में सामान के साथ या उसके बिना। (a) रेलवे द्वारा, (i) प्रथम श्रेणी या (ii) वातानुकूलित कोच छोड़कर (b) मेट्रो, मोनोरेल अथवा ट्रामवे द्वारा (c) अन्तर्देशीय जलमार्ग द्वारा। (d) पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं मुख्यतः पर्यटन उद्देश्य वाली, और भारत स्थित, स्थानों के बीच जलमार्ग द्वारा, को छोड़कर। (e) मीटर्ड कैब या ऑटो रिक्शा, (ई–रिक्शा सहित)।

विश्लेषण (Analysis)

यात्रियों के परिवहन की सेवाएँ GST हेतु प्रभारित होती हैं प्रविष्टि 6 (सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाएँ–पूर्व में चर्चित) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं को यात्रियों के परिवहन से विशिष्ट रूप से अपने कार्यक्षेत्र से वर्जित करती है अर्थात् कथित सेवाएँ GST हेतु देय होती हैं।

हालांकि उपर्युक्त वर्णित प्रविष्टियों 15, 16, 17 में उल्लिखित यात्रियों के परिवहन की सेवाएँ सामान सहित या रहित GST से विमुक्त होती हैं, (चाहे सरकार द्वारा प्रदत्त हों या अन्यथा)

प्रविष्ट 17 की इस प्रविष्टि (d) में दिए गए शब्दों (उपर्युक्त दी गई सारणी देखें) 'मुख्यतः पर्यटन उद्देश्य के अतिरिक्त' 'सार्वजनिक परिवहन' शब्दों को योग्य बनाते हैं। इसका तात्पर्य है कि एक जहाज द्वारा सार्वजनिक परिवहन मुख्यतः पर्यटन उद्देश्य हेतु नहीं होना चाहिए।

सामान्य सार्वजनिक जहाज या अन्य जहाज जो भारत में स्थित स्थानों के मध्य यात्रा करते हैं, इस प्रविष्टि के अंतर्गत आएंगे भले ही यात्रा करने वाले कुछ यात्री सेवा को पर्यटन हेतु प्रयोग कर रहे हों क्योंकि मुख्य रूप से यह सेवा पर्यटन उद्देश्य हेतु नहीं होती है। हालांकि विश्राम/चार्टर जहाज/क्रूज जहाज द्वारा प्रदत्त सेवाएँ मुख्य रूप से पर्यटन उद्देश्य की होती हैं, वे इसके अंतर्गत नहीं आती भले ही ऐसे जहाजों में कुछ यात्री पर्यटक न हों।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उदाहरण कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर (मुख्य भूमि से टापू) या पोर्ट ब्लेयर से रोज आइलैंड (अन्तर्टापू) एक जहाज पर (मुख्य रूप से पयर्टन उद्देश्य हेतु नहीं) यात्रियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएँ प्रविष्टि 17 की उपप्रविष्टि (d) के अंतर्गत आती हैं क्योंकि यह परिवहन भारत में स्थित दो स्थानों के मध्य होता है।

इन प्रविष्टियों की उपयुक्त परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं :–

❒ **ठेका परिवहन** : का आशय एक मोटर वाहन से है जो किराये या प्रतिफल हेतु यात्री या यात्रियों को ले जाता है तथा एक अनुबंध के अंतर्गत संलग्न हो चाहे व्यक्त हो या अंतर्निहित उसमें वर्णित यात्रियों के परिवहन हेतु एक पूर्ण रूप से ऐसे वाहन के प्रयोग हेतु तथा ऐसे वाहन के सम्बन्ध में आज्ञापत्र के धारक के साथ एक व्यक्ति द्वारा प्रविष्ट किया गया हो या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति एक स्थायी या सहमत दर पर या कुल–

(a) समय आधार पर किसी अन्य रास्ते या दूरी के संदर्भ सहित या रहित, या

(b) किसी भी स्थिति में एक बिन्दु से अन्य बिन्दु तक यात्रा के दौरान कहीं भी यात्रियों को चढ़ाने या उतराने हेतु रुके बिना अनुबंध में न शामिल किए गए तथा शामिल होता है –

(i) एक मैक्सीकैब तथा

(ii) एक मोटर कैब यद्यपि उसके यात्रियों हेतु पृथक् किराया लिया जाता है। [मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(7)]

❒ **मीटर कैब** : का आशय किसी ठेका परिवहन से है, जिसमें एक स्वचालित उपकरण प्रकार का होता है तथा राज्य परिवहन अधिकरण द्वारा यथोचित नियमों के अंतर्गत स्वीकृत होता है स्थापित होता है जो किसी भी समय लिये जाने वाले किराये की ओर संकेत करता है एवं जो मीटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अधीन निर्गमित अपने आज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार किराया लेता है (लेकिन इसमें रेडियो टैक्सी शामिल नहीं होती)।

❒ **रेडियो टैक्सी** : का आशय रेडियो शामिल किये हुए एक टैक्सी से है, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए जो केन्द्रीय नियंत्रण कार्यालय के साथ दोहरे रेडियो संचारण में होती है तथा सार्वभौमिक स्थापन पद्धति या सामान्य पैकेट रेडियो सेवा के प्रयोग द्वारा मार्गन हेतु योग्य होती है।

❒ **पड़ाव परिवहन** : का आशय ऐसे मोटर वाहन से है, जो या तो सम्पूर्ण यात्रा हेतु या यात्रा के पड़ावों हेतु भिन्न यात्रियों हेतु या द्वारा दत्त पृथक् किरायों पर किराये या प्रोत्साहन हेतु चालक के रहित 6 यात्रियों से अधिक को ले जाने हेतु निर्मित या अनुकूलित होता है।

❒ **राज्य परिवहन उपक्रम** : का आशय सड़क परिवहन सेवा प्रदान करने वाले किसी उपक्रम से है, जहाँ यह उपक्रम निम्न द्वारा संचालित होता है :–

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित किसी सड़क परिवहन निगम

(iii) केन्द्रीय सरकार या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा या केन्द्रीय सरकार तथा एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा स्वाधिकृत एवं नियंत्रित किसी नगरपालिका या निगम या कंपनी।

स्पष्टीकरण : इस वाक्य के उद्देश्य हेतु सड़क परिवहन सेवा का आशय किराये या प्रतिफल हेतु सड़क के माध्यम से यात्री या माल या दोनों को ले जाने वाले मीटर वाहनों की सेवा से है। [धारा 2(42) मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988]

❒ **ई–रिक्शा** का आशय 4000 वाट से न अधिक की क्षमता के विशिष्ट उद्देश्य बैटरी संचालित वाहन से है, जिसमें यात्री या माल जो भी स्थिति हो के परिवहन हेतु तीन पहिये होते हैं, जो किराये या प्रतिफल हेतु निर्मित, संरचित या अनुकूलित सुसज्जित तथा ऐसे विशिष्टीकरणों के अनुसार संधृत होता है जो उसके निर्मित निर्दिष्ट किए गए हों।

8. माल परिवहन सेवाएँ (Goods Transportation Services)

प्रविष्टि संख्या	सेवाओं का वितरण
18.	(a) सड़क मार्ग द्वारा माल परिवहन की सेवाएं, निम्नांकित को छोड़कर : (i) माल परिवहन एजेन्सी द्वारा परिचालित (ii) कूरियर एजेन्सी द्वारा परिचालित (b) अन्तर्देशीय जलमार्ग द्वारा माल परिवहन
20.	निम्नांकित माल सम्बन्धी माल परिवहन की रेल या जलयान द्वारा सेवाएं, जो भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लिये हो : (a) प्राकृतिक आपदा अथवा मानवीय त्रासदी विपत्तियाँ, दुर्घटनाएं अथवा दुर्दैवग्रस्त पीड़ितों के लिए राहत सामग्री; (b) सुरक्षा या सैनिक उपकरण ; (c) रजिस्ट्रार न्यूज पेपर्स के यहाँ पंजीकृत समाचार पत्र या पत्रिकाएं; (d) रेलवे उपकरण अथवा माल; (e) कृषि उत्पाद।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(f) दूध नमक खाद्यान्न जिनमें शामिल है आटा, दाल और चावल,; और (g) औरगेनिक मैन्योर (खाद)
	माल परिवहन एजेन्सी (GTA) सेवा
21.	मालगाड़ी में निम्नांकित माल परिवहन की, माल परिवहन एजेन्सी द्वारा प्रदत्त सेवाएं (a) कृषि उत्पाद; (b) ऐसा माल, जिसका एक गाड़ी में परिवहन के लिए प्रेषण के सम्बन्ध वसूल प्रतिफल ₹ 1,500 से अधिक नहीं हो; (c) एकल माल प्राप्तकर्ता (प्रेषिती) को भेजे गये सभी माल के परिवहन के सम्बन्ध में वसूल प्रतिफल की राशि ₹ 750 से अधिक नहीं हो; (d) दूध, नमक एवं आटा, दाल, चावल सहित ख़ाद्यान्न; (e) औरगेनिक मैन्योर (खाद); (f) रजिस्ट्रार न्यूज पेपर्स के यहाँ पंजीकृत न्यूज पेपर्स / पत्रिकाएं; (g) प्राकृतिक आपदाओं, मानवीय त्रासदी, दुर्दैव, दुर्घटना पीड़ितों के लिए राहत सामग्री। (h) सुरक्षा या सैनिक उपकरण।
21A	**निम्न प्रापकों के अतिरिक्त, एक अपंजीकृत सामयिक करयोग्य व्यक्ति को शामिल किए हुए एक GTA द्वारा अपंजीकृत व्यक्ति को प्रदत्त सेवाएँ :–** **(a) कारखाना अधिनियम, 1948 द्वारा संचालित के अधीन पंजीकृत कोई कारखाना या** **(b) समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारत के किसी भी भाग में तत्प्रभावी किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई समिति या** **(c) तत्प्रभावी किसी अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित कोई सहकारी समिति, या** **(d) तत्प्रभावी किसी अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित कोई शासकीय निकाय, या** **(e) व्यक्तियों के संघ सहित कोई साझेदारी फर्म चाहे किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो अथवा जही,** **(f) केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम या राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम या केंद्रीय शासित**

© The Institute of Chartered Accountants of India

	प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई समायिक करयोग्य व्यक्ति।
21B	**GTA द्वारा प्रदान की गयी सेवाएं, माल, ढुलाई में परिवहन के माध्यम से—** **(a) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश का एक विभाग या प्रतिष्ठान; या** **(b) स्थानीय प्राधिकरण; या** **(c) सरकारी एजेन्सियां, जिन्होंने केवल केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत धारा 51 के तहत कर में कटौती के उद्देश्य से पंजीकरण किया है और माल या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करने के लिए नहीं है।**

विश्लेषण (Analysis) :

सड़क द्वारा माल का परिवहन

(Transportation of Goods by Road)

❒ सड़क द्वारा माल के परिवहन की सेवाएँ प्रविष्टि 18 के अंतर्गत GST से विमुक्त हैं। GTA की सेवाएं तथा कोरियर सेवाएँ इस विमुक्ति का अपवाद हैं। हालांकि अपंजीकृत व्यक्ति (अपंजीकृत सामयिक करयोग्य व्यक्ति[18] सहित) को प्रदत्त GTA सेवाएँ प्रविष्टि 21A के प्रभुत्व द्वारा GST से विमुक्त हैं।

❒ इसके अतिरिक्त, पंजीकृत सामयिक कर योग्य व्यक्ति तथा निम्न व्यक्तियों को प्रदत्त GTA सेवाएँ, भले ही GTA अधिनियम के अंतर्गत अपंजीकृत हों, करयोग्य' होती है :

(i) कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक कारखाना,

(ii) इसके अतिरिक्त के अंतर्गत पंजीकृत समिति,

(iii) सहकारी समिति

(iv) शासकीय निकाय तथा

(v) AOP सहित साझेदारी फर्म।

❒ अन्य शब्दों में, सिर्फ एक अपंजीकृत व्यक्ति उपभोक्ता को प्रदत्त GTA सेवाएँ GST से विमुक्त होती हैं।

❒ इसलिए निम्न को प्रदत्त GST सेवाएँ :

✓ GST नियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति तथा पंजीकृत सामयिक करयोग्य व्यक्ति एवं

[18] 'सामयिक करयोग्य व्यक्ति' की अवधारणा अध्याय 7-पंजीकरण में विस्तृत रूप से चर्चित की गई है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

✓ कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत एक कारखाना, समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समिति, सहकारी समिति, शासकीय निकाय तथा AOP सहित साझेदारी फर्म–चाहे GST नियम के अंतर्गत पंजीकृत हो अथवा नहीं हैं।

करयोग्य होती है। साथ ही, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन मामलों में यदि GTA @5% कर के भुगतान हेतु चुनाव करता है, तो कर दायित्व व्युत्क्रमित प्रभार प्रक्रिया के अधीन कथित प्राप्तकर्ताओं पर कर दायित्व आयेगा। आगे की प्रक्रिया से पूर्व, हमें अब GTA का अर्थ समझना चाहिए :

GTA कौन है – माल परिवहन संस्था ?

(Who is a GTA – Goods Transport Agency ?)

आइये हम माल परिवहन संस्था (GTA) का अर्थ समझें। माल परिवहन संस्था अधिसूचना में परिभाषित की गई है, जिसका आशय किसी व्यक्ति से है, जो –

- ❖ सड़क द्वारा माल के परिवहन के सम्बन्ध में सेवा प्रदान करता है तथा
- ❖ प्रेषण नोट निर्गमित करता है चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए।

- ❒ इसलिए, यह देखा जा सकता है, कि सेवा के पूर्तिकर्ता को एक GTA के रूप में माने जाने हेतु प्रेषण नोट का निर्गमन अनिवार्य होता है। यदि यह प्रेषण नोट परिवाहक द्वारा निर्गमित नहीं किया जाता है, तो सेवा प्रदानकर्ता GTA के परिक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा।
- ❒ यदि प्रेषण नोट निर्गमित किया जाता है तो यह सूचित करता है कि, माल पर हक स्थानांतरित कर दिया गया है (परिवाहक को) तथा परिवाहक प्रेषिती को माल की सुरक्षित पूर्ति तक माल हेतु उत्तरदायी होता है। यह सिर्फ इस प्रकार के GTA की सेवाएं हैं, जो संस्था कार्यों को मानती हैं, जो GST के अंतर्गत लायी गई हैं।
- ❒ वैयक्तिक ट्रक/टेम्पो संचालक जो कोई प्रेषण नोट निर्गमित नहीं करते, GTA शब्द के अर्थ के अन्तर्गत नहीं आते। परिणामस्वरूप ऐसे वैयक्तिक परिवाहकों द्वारा प्रदत्त सेवाएँ, जो एक प्रेषण नोट का निर्गमन नहीं करते, अधिसूचना की प्रविष्टि 18 की प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं आएगी, जो कि GST से विमुक्त होती है।

उदाहरण हरिप्रसाद के पास अपना एक ट्रक है एवं वह उसे स्वयं चलाता है। वह प्रेषण नोट का निर्गमन किए बिना अपने ट्रक हेतु बुक माल को ले जाता है। सड़क द्वारा माल के परिवहन के माध्यम से हरिप्रसाद द्वारा प्रदत्त सेवाएँ अधिसूचना की प्रविष्टि 18 के अंतर्गत विमुक्त है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उदाहरण निशांत एक ट्रक का मालिक है जो उसने सिंधु एंड बंसल ट्रांसपोर्ट एजेंसी GTA को किराये पर दे दिया है। प्रविष्टि 18 द्वारा नहीं बल्कि अधिसूचना की प्रविष्टि 22 द्वारा एक GTA (सिंधु एंड बंसल ट्रांसपोर्ट एजेंसी) को माल के परिवहन के माध्यम (दी हुई स्थिति में ट्रक) से किराये पर देने की सेवाएँ कर से विमुक्त होती हैं।

❒ **प्रेषण नोट** का आशय एक ऐसे दस्तावेज से है, जो GTA द्वारा एक माल परिवहन में सड़क द्वारा माल के परिवहन के उद्देश्य हेतु माल की प्राप्ति के प्रति निर्गमित किया जाता है, जो व्यवस्थित क्रम में होता है तथा इसमें समाविष्ट है,

- ✓ प्रेषणकर्ता तथा प्रेषिती का नाम,
- ✓ माल परिवहन की पंजीकरण संख्या जिसमें माल का परिवहन किया जाता है,
- ✓ परिवहन किए जाने वाले माल का विवरण,
- ✓ उत्पत्ति और गंतव्य के स्थान का विवरण
- ✓ खेप का सकल बजन
- ✓ प्रेषिकी या GTA चाहे टैक्स देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का GSTIN
- ✓ कर चालान के लिए निर्धारित अन्य विवरण[19]।

GTA की परिभाषा में 'के सम्बन्ध में' शब्द की महत्वपूर्णता
(Significance of the term in relation to 'in the definition' of GTA) :

'के सम्बन्ध में' वाक्य के प्रयोग ने GTA की परिभाषा के क्षेत्र का विस्तारीकरण किया है। इसमें न सिर्फ माला का वास्तविक परिवहन शामिल है, अपितु विभिन्न मध्यवर्ती तथा सहायता सेवाएँ भी शामिल होती हैं, जैसे कि लदाई/उतराई, पैकिंग/सामान निकालना, पोतांतरण तथा अस्थायी भंडारण जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के दौरान प्रदत्त की जाती है। ये सेवाएँ स्वतंत्र सेवाओं के रूप में प्रदत्त नहीं की जाती हैं अतिपु मुख्य सेवा की सहायक के रूप में प्रदत्त की जाती हैं जैसे कि सड़क द्वारा माल का परिवहन। कथित सेवा प्रदान करने हेतु GTA द्वारा निर्गमित बीजक में मध्यवर्ती तथा सहायक सेवाओं की कीमत शामिल होती है।

इस दृष्टिकोण से, यदि सड़क द्वारा माल के परिवहन के सम्बन्ध में कोई मध्यवर्ती एवं सहायक सेवा प्रदान की जाती है तथा ऐसी सेवाओं हेतु प्रभार, यदि कोई हो, GTA द्वारा निर्गमित बीजक में शामिल होते हैं, यह सेवा संयुक्त पूर्ति होते हुए GTA सेवा का भाग बनेगी तथा पृथक पूर्ति के रूप में नहीं मानी जाएगी। हालांकि यदि ये सेवाएँ पृथक् सेवाओं के रूप में प्रदान की जाती हैं

---

[19] मतलब GTA और कनसाईनमेंट नोट जो पूर्वगामी पैरा में विस्तृत है, मुख्य रूप से सीबीआईसी GST फ्लायर–अध्याय 38-GST में माल परिवहन एजेंसी पर आधारित है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

संलग्न तथा पृथक् रूप से प्रभारित होती है, चाहे समान बीजक मे या पृथक् बीजकों मे, तो उन्हें पृथक् पूर्तियों[20] के रूप में माना जाएगा।

कोरियर संस्था क्या है ?

(What is Courier Agency ?)

अधिसूचना में परिभाषित की गई कोरियर संस्था का आशय दस्तावेजों, माल या सामान के साथ या ले जाने हेतु या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः एक व्यक्ति की सेवाओं का प्रयोग करके समय–संवेदनशील दस्तावेजों, माल या सामान के घर–घर परिवहन में संलग्न किसी व्यक्ति से है।

एक्सप्रेस माल सेवा : कुछ परिवाहक माल या सामान के घर–घर पहुँचाने का कार्य करते हैं तथा उन्होंने ऐसे माल या सामान के गतिपूर्ण परिवहन तथा सामयिक सुपुर्दगी हेतु विशिष्ट व्यवस्थाएँ की हुई होती हैं।

ऐसी सेवाएँ सामयिक सुपुर्दगी आश्वासन सहित 'एक्सप्रेस माल सेवा' के रूप में जानी जाती हैं। 'एक्सप्रेस माल सेवा' द्वारा प्रदत्त सेवा की प्रकृति कोरियर संस्था के कार्यक्षेत्र एवं परिभाषा के अंतर्गत आती है। इसलिए सड़क द्वारा माल के परिवहन से सम्बन्धित कथित सेवा विमुक्त नहीं है।

माल परिवहन में रेल/जहाज/GTA द्वारा माल का परिवहन

(Transportation of goods by rail/vessel/GTA in goods carriage)

"माल परिवहन में रेल माध्यम से या जहाज या GTA द्वारा विशिष्ट माल के परिवहन को प्रदान विमुक्तियाँ निम्न सारणी में प्रस्तुत की गई हैं :**

रेल/ जहाज द्वारा निम्न माल का परिवहन विमुक्त है	**माल परिवहन में एक GTA द्वारा निम्न माल का परिवहन विमुक्त है।**
रेलवे उपकरण या सामग्री या	(i) माल, जहा, एकल गाड़ी में एक प्रेषण पर परिवहित माल के परिवहन हेतु लिया गया प्रतिफल ₹ 1,500 से अधिक न हो,
	(ii) माल, जहाँ एकल प्रेषिती हेतु सभी इस प्रकार के माल के परिवहन हेतु लिया गया प्रतिफल ₹ 750 से अधिक न हो।
माल परिवहन में रेल/जहाज/GTA द्वारा निम्न माल का परिवहन विमुक्त है।	
(a) कृषि उपज (b) आटा, दालें एवं चावल सहित दूध, नमक एवं खाद्य अनाज (c) जैविक खाद्	

[20] परिवहन एवं लॉजिस्टिक पर CBIC FAQ के प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में स्पष्ट।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(d)	समाचारों के पंजीकर्ता के पास पंजीकृत समाचारपत्र या पत्रिकाएँ
(e)	प्राकृतिक या इंसान रचित आपदाओं, विपत्तियों, दुर्घटनाओं या व्यथाओं के पीड़ितों हेतु बनाये गए सुविधा सामग्री
(f)	सुरक्षा या सैनिक उपकरण

****माल परिवहन** का आशय सिर्फ माल के परिवहन हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले निर्मित या अनुकूलित किसी मोटर वाहन से है या कोई मोटर वाहन जो इस प्रकार से निर्मित या अनुकूलित न हो, जब माल के परिवहन हेतु प्रयुक्त हो।

9. बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ (Banking and Financial Services)

प्रविष्टि संख्या	सेवाओं की विवरण
26.	दि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त सेवाएँ।
27.	निम्नांकित सेवाएँ– (a) ब्याज या कटौती रूपी प्रतिफल के लिए जमा, ऋण या अग्रिम में व्यवहार (क्रेडिट कार्ड सेवाओं पर ब्याज छोड़कर) (b) बैंकों या अधिकृत डीलरों के मध्य विदेशी विनिमय का क्रय या विक्रय अथवा बैंकों और ऐसे डीलरों के मध्य व्यवहार।
27A	**प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMSDY) के तहत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाता धारकों को बैंकिंग कम्पनी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं।**
34.	किसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्जकार्ड या अन्य भुगतान कार्ड सेवा सम्बन्धी ` **₹** 2,000 तक एकल लेनदेन की राशि के निपटारे सम्बन्धी सेवाएँ जो किसी व्यक्ति को प्राप्तिकर्ता बैंक द्वारा प्रदान की गयी हों। **स्पष्टीकरण**– इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए 'प्राप्तिकर्ता बैंक' का आशय किसी बैंकिंग कम्पनी, वित्तीय संस्थान– NBFC सहित या किसी अन्य व्यक्ति से है, जो ऐसे कार्ड धारी को भुगतान प्रदान करता है।
39A	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (IFSC) स्टेट्स के साथ विविधसेवाओं SEZ में स्थित वित्तीय सेवाओं के एक मध्यवर्ती द्वारा भारतीय रुपयों के अतिरिक्त मुद्राओं में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं हेतु भारत से बाहर स्थित एक ग्राहक को प्रदान सेवाएँ। **स्पष्टीकरण**– इस प्रविष्टि के उद्देश्य हेतु IFSC में वित्तीय सेवाओं का मध्यवर्ती वह व्यक्ति है, जो (i) भारतीय सरकार या IFSC के नियंत्रण हेतु नियुक्त किसी नियंत्रणकर्ता द्वारा इस प्रकार मान्य या स्वीकृत हो, या

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(ii)	जो विदेशी विनिमय प्रबंधन (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) नियमों, 2015 के अंतर्गत भारत से बाहर निवासी के रूप में माना गया हो, या
	(iii)	जो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारत (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) निर्देशों, 2015 के अंतर्गत एक IFSC बीमा कार्यालय के रूप में पंजीकृत हो, या
	(iv)	जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनामयक बोर्ड ऑफ इण्डिया (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) निर्देशों 2015 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति एवं विनामयक बोर्ड ऑफ इण्डिया द्वारा इस प्रकार स्वीकृत हो।

विश्लेषण (Analysis)

बैंक एवं वित्तीय संस्थान पैसे को उधार पर लेने या देन या निवेशों से सम्बन्धित वित्तीय सेवाओं का समूह प्रदान करते हैं।

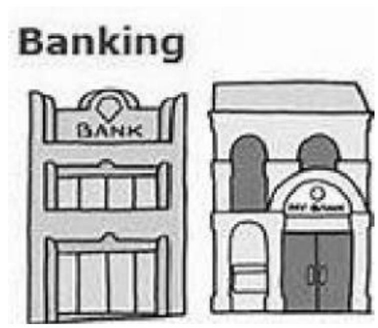

दि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त सभी सेवाएँ प्रविष्टि 26 के अंतर्गत आती हैं और इसलिए GST से विमुक्त हैं। हालांकि, दि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को प्रदत्त सेवाएँ कथित प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं आतीं तथा करयोग्य होगी जब तक कि अधिसूचना की किसी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत ना आएगा। प्रविष्टि 27 के द्वारा GST से विमुक्त विशिष्ट बैंकिंग सेवाएँ निम्न प्रकार स्पष्ट की गई हैं :

(A) जमा, ऋण या अग्रिमों के विस्तारण द्वारा सेवाएँ जब तक कि प्रतिफल ब्याज या छूट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो : यह प्रविष्टि ऐसी किसी भी सेवा को आच्छादित करती है, जहाँ देय राशि ब्याज के भुगतान पर या छूट पर प्रयुक्त या प्रतिधारित होने हेतु स्वीकृत हो। प्रयुक्त शब्द 'जमा ऋण या अग्रिम राशियाँ हैं तथा सामान्य अर्थ में लिए जाने चाहिए।

ये किसी भी ऐसी सुविधा को अपने अधीन रखेंगे जिसके द्वारा एक राशि उधार दी जाती है या भुगतान पर प्रयुक्त होने या प्रतिधारण हेतु स्वीकृत होती है, जिसे सामान्य रूप से पैसे की सामयिक कीमत कहा जाता है, जो ब्याज या छूट के रूप में हो सकती है। इस प्रविष्टि के अंतर्गत अंशों के माध्यम से या किसी अन्य विधि द्वारा निवेश नहीं आयेंगे जहाँ निवेशक लाभ के भाग हेतु अधिकृत होता है।

ब्याज : का आशय उधार लिए गए पैसे या ऋण (जमा दावा या अन्य समान अधिकार या बाध्यता सहित) के संदर्भ में किसी रूप में देय ब्याज से होता है, लेकिन इसमें उधार ली गई राशि या ऋण के सम्बन्ध में कोई शुल्क या प्रभार शामिल नहीं होता है या किसी के संदर्भ में भी प्रयुक्त न हुई हो।

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रविष्टि 27 के तहत सेवाओं पर दी गई छूट के उदाहरण निम्न प्रकार हैं –

- ✓ बैंक या किसी वित्तीय संस्थान में स्थायी जमा या बचत जमा या इस प्रकार का कोई अन्य जमा जिसके लिए ब्याज द्वारा प्रतिफल प्राप्त किया गया हो।
- ✓ ब्याज के भुगतान हेतु प्रतिफल में ऋण या ओवरड्राफ्ट सुविधा या क्रेडिट सीमा सुविधा प्रदान करना।
- ✓ उस सीमा तक सहायक जमानत सहित मार्टगेज या ऋण कि ऐसे ऋणों या अग्रिम हेतु प्रतिफल ब्याज द्वारा प्रस्तुत हो।
- ✓ उस सीमा तक कम्पनी जमा कि ऐसे ऋणों या अग्रिम राशियों हेतु प्रतिफल ब्याज या छूट के माध्यम से प्रस्तुत हो।

- ❒ सेवा शुल्क/शुल्क, दस्तावेजीकरण शुल्क, ब्रेकिंग शुल्क, प्रशासनिक शुल्क, प्रवेश शुल्क या इस तरह के शुल्क या ऋण पर ब्याज के ऊपर या ऊपर एकत्र किए गए शुल्क, अग्रिम या जमा की छूट नहीं है और इस प्रकार, कर योग्य प्रतिफल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ❒ इंवॉइस छूट/चेक डिस्काउंटिंग या किसी अन्य समान छूट के प्रकार को केवल इस सीमा तक माना जाता है कि यह छूट के तरीके से दर्शाया जाता है क्योंकि इस तरह की छूट क्रेडिट सुविधा या ऋण का विस्तार करने का एक तरीका है।
- ❒ दलाली राशि/निपटान दायित्वों/मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा के भुगतान में देरी के लिए ग्राहकों को कोई ब्याज/विलम्बित भुगतान शुल्क GST से छूट दी गई है क्योंकि निपटान दायित्वों/मार्जिन ट्रेडिंग सुविधाएं लेन–देन हैं जो ऋण या अग्रिमों को बढ़ाने की प्रकृति में है और कवर किए गए प्रवेश 27[21] के द्वारा है।
- ❒ क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि के दर से भुगतान के लिए शुल्क : बकाया क्रेडिट कार्ड शेष पर लगाया गया ब्याज विशेष रूप से प्रवेश 27 से बाहर रखा गया है। इसलिए, GST के लिए उत्तरदायी है।

(B) **विदेशी मुद्रा के विक्रय द्वारा बैंकों या विदेशी विनिमय के अधिकृत व्यापारियों द्वारा प्रदत्त सेवाएँ** : 'विदेशी विनिमय का अधिकृत विक्रेता शब्द का आशय FEMA, 1999 की धारा 10 (1) के अंतर्गत अधिकृत व्यापारी, मुद्रा परिवर्तक, अपतटीय बैंकिंग इकाइयां किसी अन्य व्यक्ति से हैं, जो तत्समय अधिकृत विदेशी विनिमय या विदेशी प्रतिभूतियों में व्यापार करता हो। [विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 2 (C)]

यह ध्यान देना आवश्यक है कि सामान्य जनता को प्रदत्त ये सेवाएँ इस

[21] जैसा कि बैंकिंग, बीमा और स्टॉक ब्रोकरों के क्षेत्र के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न के अनुसार।

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं आएंगी, क्योंकि यह प्रविष्टि सिर्फ बैंकों एवं अधिकृत व्यापारियों के मध्य या बैंकों एवं ऐसे व्यापारियों के मध्य विदेशी विनिमय के क्रय एवं विक्रय को आच्छादित करती है।

RBI द्वारा बैंकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ कर योग्य होंगी क्योंकि ये GST कानून के तहत किसी भी छूट/बहिष्करण द्वारा कवर नहीं की गई हैं।

10. जीवन बीमा व्यवसाय सेवाएँ (Life Insurance Business Services)

प्रविष्टि संख्या	सेवाओं का विवरण
28.	पेन्शन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के अधीन स्थापित, पेन्शन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित राष्ट्रीय पेंशन पद्धति के अधीन जीवन बीमा व्यवसाय की सेवाएँ वार्षिकी के रूप में उपलब्ध कराना।
29.	सेना, नौसेना या वायुसेना, समूह बीमा कोषों द्वारा जीवन बीमा सम्बन्धी सेवाएँ सेना नौसैना या वायुसेना के सदस्यों को केन्द्रीय सरकार की समूह बीमा योजनाओं के अधीन प्रदान करना।
29A	केन्द्रीय सरकार की समूह बीमा योजनाओं के अधीन तटरक्षक सेना के व्यक्तियों को नौ सेना समूह बीमा फंड द्वारा जीवन बीमा की सेवाएँ प्रदान करना या प्रदान करने हेतु सहमत होना।
36	निम्नांकित योजनाओं के अधीन प्रदत्त जीवन बीमा व्यवसाय की सेवाएँ – (a) जनश्री बीमा योजना, (b) आम आदमी बीमा योजना, (c) बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा मान्य 'जीवन माइक्रो बीमा उत्पाद'** (अधिकतम संरक्षित राशि ₹ 2,00,000 तक) (d) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, (e) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (f) प्रधानमंत्री जनधन योजना, (g) प्रधानमंत्री वय वंदन योजना।
	****जीवन माइक्रो बीमा उत्पाद** का आशय नियामकों में संलग्न अनुसूची–II में वर्णित नियमों के अनुसार प्रीमियम की वापसी सहित/रहित किसी अवधि बीमा अनुबंध किसी अक्षयनिधि बीमा अनुबन्ध या स्वास्थ्य बीमा अनुबन्ध से है, दुर्घटना लाभ अनुवृद्धि सहित या रहित, या तो वैयक्तिक या समूह आधार पर [बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (माइक्रो–बीमा) नियम, 2005 के नियम 2 (e)]

© The Institute of Chartered Accountants of India

11. विशिष्ट निकायों द्वारा प्रदत्त सेवाएँ (Services Provided by Specified Bodies)

प्रविष्टि संख्या	सेवाओं का विवरण
30.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 के अधीन प्रदत्त सेवाएं।
31.	कर्मचारी भविष्य निधि कोष द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अधीन, कोष के सदस्यों को प्रदत्त सेवाएँ।
31A	कोयला खनन प्रोविडेंट फंड संस्थान द्वारा कोयला खनन प्रोविडेंट फंड तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 द्वारा नियमित व्यक्तियों को प्रदत्त सेवाएँ।
31B	प्रशासनिक शुल्क के रूप में प्रतिफल के प्रति राष्ट्रीय पेंशन पद्धति (NPS) ट्रस्ट द्वारा अपने सदस्यों को प्रदत्त सेवाएँ।
32	IRDAI अधिनियम, 1999 के अंतर्गत IRDAI (भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण) द्वारा बीमाकर्ताओं को प्रदत्त सेवाएँ।
33	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय कोई अधिनियम, 1992 के अधीन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा प्रतिभूतियों में निवेशकों के हित संरक्षण और प्रतिभूति बाजार के प्रवर्तन विकास विकास एवं नियामन सम्बन्धी सेवाएँ।

12. सामान्य बीमा व्यवसाय सेवाएँ (General Insurance Business Services)

प्रविष्टि संख्या	सेवाओं का विवरण
35	निम्नांकित योजनाओं के अंतर्गत सामान्य बीमा सम्बन्धी प्रदत्त सेवाएँ – (a) झोपड़ी बीमा योजना (b) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना [22] के अधीन पशु बीमा, (c) जनजातियों के लिए बीमा योजनाएँ, (d) जनता व्यक्तिगत दुर्घटना एवं ग्रामीण दुर्घटना पॉलिसी , (e) स्वनियोजित महिलाओं के लिए सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी, (f) कृषि पम्प सेट एवं असफल कुँआ बीमा, (g) निर्यात क्रेडिट बीमा पर संगृहीत प्रीमियम,

[22] earlier known as Integrated Rural Development Programme.

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(h) मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RVCIS) जिसको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो और जिसका क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है, (i) जन आरोग्य बीमा पॉलिसी (j) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), (k) बीमा फसल बीमा पर पायलट योजना, (l) पशु बीमा सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्र योजना, (m) सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, (n) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, (o) नारियल–ताड़ बीमा योजना, (p) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, (q) ऑटिज्म, सेरेबल पॉलिसी, मंद बुद्धि हेतु सेगहल व्यक्तियों के कल्याण और ट्रस्ट असमर्थता अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अधीन गठित ट्रस्ट द्वारा क्रियावित 'निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना'।
36A	क्रम संख्या 35 या 36 में निर्देशित बीमा योजनाओं के पुनर्बीमा द्वारा प्रदत्त सेवाएँ

13. पेंशन योजनाएं (Pension schemes)

प्रविष्टि संख्या	सेवाओं का विवरण
37.	अटल पेंशन योजना के अधीन अंशदान संग्रहण सेवाएँ।
38.	राज्य सरकारों की पेंशन योजनाओं के अधीन अंशदान संग्रहण सम्बन्धी सेवाएँ।

14. व्यवसाय अनुदेशक / अभिकर्ता (Business facilitator/correspondent)

प्रविष्टि 39. विभिन्न स्थितियों में निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त सेवाएँ :–

(a) ग्रामीण क्षेत्रीय शाखा सम्बन्धी खातों के लिए किसी बैंकिंग कम्पनी को व्यवसाय अनुदेशक / अभिकर्ता,

(b) व्यवसाय अनुदेशक / अभिकर्ता के मध्यस्थ रूपी किसी व्यक्ति की उपर्युक्त (a) में वर्णित सेवाएँ

(c) ग्रामीण क्षेत्र में किसी बीमा कम्पनी का व्यवसाय अनुदेशक / अभिकर्ता।

विश्लेषण (Analysis) :

ग्रामीणी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को सुलभ बनाना भारत के लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में, या तो बैंक नहीं हैं या बैंकों की संख्या अपर्याप्त है। इस समस्या का मुकाबला

© The Institute of Chartered Accountants of India

करने और अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2006 में दिशा–निर्देशों के माध्यम से बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंटस और बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल पेश किया, जिससे बैंकों को बिचौलियों की दो श्रेणियों–बिजनेस फैसिलिटेटर्स (BFs) और बिजनेस कॉरस्पोंडेंटस (BC) के रूप में काम करने की अनुमति मिली।

बीसी/बीएफ ग्रामीणों को बैंक खाते खोलने और उन्हें अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मदद करते हैं। वे बैंक और उसके ग्राहकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। बैंक, बदले में, बीसी/बीएफ को कमीशन/शुल्क देते हैं।

RBI के दिशा–निर्देशों के अनुसार, जबकि BCs को एजेंट के रूप में बैंक की ओर से लेन–देन करने की अनुमति है, बीएफ ग्राहकों का उल्लेख कर सकते हैं, ग्राहकों के प्रस्ताव का पीछा कर सकते हैं और बैंक की ओर से लेन–देन नहीं कर सकते।[23]

प्रवेश 39 बीएफ/बीसी द्वारा किसी ग्रामीण कंपनी को अपने ग्रामीण क्षेत्र शाखा में खातों के संबंध में दी गई सेवाओं और किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बीएफ/बीसी द्वारा दिए गए सेवाओं के संबंध में छूट देता है, उक्त सेवाओं को GST से छूट दी गई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस प्रविष्टि के तहत GST से छूट का लाभ उठाने के लिए, बीएफ/बीसी द्वारा अपनी संबंधित व्यक्तिगत क्षमताओं में बैंकिंग कंपनी को प्रदान की जाने वाली सेवाएं बैंकिंग कंपनी के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शाखा में खातों के संबंध में होनी चाहिए।

बीएफ/बीसी द्वारा बैंकिंग कंपनी को प्रदान की जाने वाली सेवाएं और बीएफ/बीसी के मध्यस्थ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं इस प्रविष्टि के दायरे में नहीं आती हैं, ऐसी सेवाओं पर GST देय है।

हालांकि, बैंकिंग कंपनी वह व्यक्ति है जो किसी बैंकिंग कंपनी को BF द्वारा प्रदान की जाने वाली कर योग्य सेवाओं के लिए कमीशन/शुल्क के संबंध में रिवर्स चार्ज के तहत GST का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसी तरह बीसी से बीसी के एजेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली कर योग्य सेवाओं पर GST बीसी द्वारा रिवर्स चार्ज के तहत देय है।

आगे, जैसा कि आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार, बैंक बीसी को उचित कमीशन/शुल्क दे सकते हैं। बीसी के साथ बैंकों का समझौता विशेष रूप से बैंक की ओर से उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए ग्राहकों से किसी भी शुल्क को सीधे शुल्क लेने से रोकता है। दूसरी ओर बैंकों (और बीसी नहीं) को पारदर्शी तरीके से ऐसी सेवा के लिए ग्राहकों से उचित सेवा शुल्क लेने की अनुमति है।

बीसी के साथ बैंकों की व्यवस्था उस आवश्यकता को निर्दिष्ट करती है जो लेन–देन का हिसाब होता है और बैंक की पुस्तकों में दिन के अंत या अगले कार्य दिवस तक दर्शाया

[23] बीएफ, उधारकर्ताओं की पहचान और गतिविधियों को ठीक करने, ऋण आवेदनों के संग्रह और प्रारम्भिक प्रसंस्करण, बैंकों के आवेदनों के प्रसंस्करण और प्रस्तुत करने, वसूली के लिए अनुवर्ती, इत्यादि सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। इन सबके अलावा, बीसी भी संवितरण का कार्य करते हैं। छोटे मूल्य क्रेडिट, मूलधन की वसूली/ब्याज की वसूली, छोटे मूल्य जमा का संग्रह, सूक्ष्म बीमा/म्यूचुअल फंड उत्पादों/पेंशन उत्पादों/अन्य तीसरे पक्ष के उत्पादों की बिक्री, छोटे मूल्य प्रेषण/अन्य भुगतान उपकरणों की प्राप्ति और वितरण आदि।

© The Institute of Chartered Accountants of India

जाता है, और ग्राहक के साथ सभी समझौते। अनुबंध स्पष्ट रूप में निर्दिष्ट करेंगे कि बैंक जिम्मेदार है बीएफ/बीसी की चूक और कमीशन के कृत्यों के लिए ग्राहक।

इसलिए, बैंकिंग कंपनी बीएफ मॉडल/बीसी मॉडल में अंतिम ग्राहक के लिए सेवा प्रदाता है। बैंकिंग कंपनी सेवा शुल्क के पूरे मूल्य पर GST का भुगतान या बीएफ/बीसी के माध्यम से प्राप्त किया गया है या नहीं ग्राहकों की शुल्क के लिए उत्तरदायी है।

[सर्कुलर नंबर 86/05/2019 GST दिनांक 01.01.2019]

इस प्रविष्टि के तहत अन्य प्रासंगिक परिभाषाएं इस प्रकार हैं—

- **बीमा कम्पनी** : का आशय जीवन बीमा व्यवसाय या सामान्य बीमा व्यवसाय करने वाली एक कम्पनी से है।
- **मध्यवर्ती** : का आशय एक दलाल अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति से है, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए जो दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य माल या सेवा या दोनों या प्रतिभूतियों की पूर्ति प्रदान करता है या व्यवस्था करता है, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं होता, जो अपने कारण माल या सेवा या दोनों या प्रतिभूतियों की पूर्ति करता है [IGST अधिनियम, 2017 की धारा 2 (13)]
- **ग्रामीण क्षेत्र** : का आशय किसी नगरपालिका समिति नगर निगम, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी मंडल या अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत कोई क्षेत्र या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किसी क्षेत्र के अतिरिक्त भूमि राजस्व में गांव के रूप में परिभाषित क्षेत्र से है।
- छूट अधिसूचना बीएफ/बीसी को एक बैंकिंग कंपनी या बीमा कंपनी द्वारा बीएफ मॉडल या बीसी मॉडल के तहत नियुक्त एक मध्यस्थ के रूप में आरबीआई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के तहत परिभाषित करती है।

15. सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाएँ (Services Provided to Government)

प्रविष्टियाँ	सेवाओं का विवरण
3.	**सरकार को प्रदत्त केवल सेवाएँ :** ❒ केवल सेवाएँ (कार्य संविदा सेवा या किसी माल की पूर्ति सहित अन्य संयुक्त पूर्तियों के अतिरिक्त) ❒ केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था की प्रदत्त ❒ किसी गतिविधि के माध्यम से, ✓ संविधान के अनुच्छेद 243G के अधीन पंचायतों को सौंपे गए किसी कार्य के सम्बन्ध में

© The Institute of Chartered Accountants of India

	✓ संविधान के अनुच्छेद 243 W के अधीन नगरपालिकाओं को सौंपे गए किसी कार्य के सम्बन्ध में।
3A	**सरकार को माल एवं सेवाओं की संयुक्त पूर्ति,** ❒ माल एवं सेवाओं की संयुक्त पूर्ति जिसमें माल की पूर्ति की कीमत कथित संयुक्त पूर्ति की कीमत के 25% से अधिक न हो ❒ केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, या केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को प्रदत्त ❒ किसी गतिविधि के माध्यम से ✓ संविधान के अनुच्छेद 243G के अधीन पंचायतों को सौंपे गए किसी कार्य के सम्बन्ध में ✓ संविधान के अनुच्छेद 243W के अधीन नगरपालिकाओं को सौंपे गए किसी कार्य के सम्बन्ध में।
11A	उचित मूल्य दुकानों द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश को कमीशन या लाभ के रूप में प्रतिफल के प्रति जनता वितरण पद्धति के अंतर्गत खाद्य अनाज, कैरोसीन, चीनी, खाद्य तेल इत्यादि के माध्यम से प्रदत्त सेवाएँ।
40	केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार, संघ क्षेत्र की किसी बीमा योजना के अधीन प्रदत्त सेवाएँ, जिनके सम्बन्ध में कुल प्रीमियम का भुगतान केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा संघ क्षेत्र द्वारा किया जाता है।
72	केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघीय क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन प्रदत्त सेवाएँ जिसका कुल व्यय केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है।
51	माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन हेतु GSTN (माल एवं सेवा कर नेटवर्क) द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघीय क्षेत्रों

विश्लेषण (Analysis)

प्रविष्टि 3 सरकार को 'सिर्फ सेवाओं' की पूर्ति को विमुक्त करती है। 'केवल सेवाओं' की पूर्ति का आशय माल की किसी पूर्ति को शामिल किए बिना सेवाओं की पूर्ति से है।

साथ ही प्रविष्टि 3A के द्वारा सरकार को 'माल एवं सेवाओं की संयुक्त पूर्ति'* विमुक्त है।

*जिसमें माल की पूर्ति की कीमत ऐसी संयुक्त पूर्ति की कीमत के 25% से अधिक न हो।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उदाहरण के लिए, सड़कों, सार्वजनिक स्थानों की सफाई संरचनाएं सेवाएं परामर्शी इंजीनियर सेवाएँ सलाहकारी सेवाएँ तथा माल की किसी पूर्ति में न शामिल व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा प्रदत्त समतुल्य सेवाओं हेतु मानवशक्ति की पूर्ति केवल सेवाओं की पूर्ति मानी जाएगी।

दूसरी ओर एक नगरपालिका क्षेत्र में सड़क लाइटों की व्यवस्था का कार्य एक सरकारी प्राधिकरण द्वारा एक संस्था को देना जिसमें रखरखाव के अतिरिक्त खराब हो चुकी लाइटों तथा अन्य पुर्जों का प्रतिस्थापन शामिल है। इस स्थिति में, सेवा के क्षेत्र में अनुरक्षण कार्य तथा माल की पूर्ति[24] शामिल है।

16. पट्टे पर देने की सेवाएँ (Leasing Services)

प्रविष्टि संख्या	सेवाओं का विवरण
41	एक बार चुकता राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत मूल्य विकास व्यय या किसी भी नाम से जाना जाए) जो वित्तीय व्यवसाय हेतु परिसर के विकास हेतु औद्योगिक जमीन या जमीनों को 30 वर्षों या अधिक के दीर्घकालिक पट्टे के अनुदान द्वारा सेवा के संदर्भ में देय हो, जो राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगम या उपक्रम या किसी औद्योगिक या वित्तीय व्यवसाय क्षेत्र में विकासकर्ताओं या औद्योगिक इकाइयों में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघीय क्षेत्र की 50% या अधिक स्वामित्व वाली किसी अन्य संस्था द्वारा प्रदत्त हों। **स्पष्टीकरण**– इस विमुक्ति के उद्देश्य हेतु, संस्था में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघीय क्षेत्र का प्रत्यक्षतः या उस संस्था के माध्यम से 50% या अधिक का स्वामित्व होना चाहिए, जो पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघीय क्षेत्र द्वारा स्वाधिकृत हो। **इस तरह की अग्रिम राशि देय/देय है कि एक/अधिक किस्तों में भुगतान किया गया है, बशर्ते कि अप्रभावित छूट स्वीकार्य हो, बशर्त कि राशि पूर्व निर्धारित हो।**[25]
43	भारतीय रेलवे वित्त निगम द्वारा भारतीय रेलवे को सम्पत्ति के पट्टे पर देने की सेवाएँ (रोलिंग स्टॉक सम्पत्तियों में बैगन्स, डिब्बे, इंजन सहित)।

17. कानूनी सेवाएँ (Legal services)

प्रविष्टि 45 निम्नलिखित द्वारा प्रदत्त सेवाएँ –

(a) फैसला अधिकरण द्वारा निम्न को –

(i) व्यावसायिक संस्था के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को, या

[24] सरकारी सेवाओं पर CBICFAQ के प्रश्न 25 के माध्यम से स्पष्ट

[25] जैसा कि परिपत्र संख्या 101/20/2019—GST में स्पष्ट किया गया है—दिनांक 30.04.2019।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) निगत वित्तीय वर्ष में ₹ 20 लाख तक कुल बिक्री वाली व्यावसायिक निकाय को (विशेष श्रेणी के राज्यों की स्थिति में ₹ 10 लाख)

(iii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघीय क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था को।

(b) एक वरिष्ठ वकील के अतिरिक्त वकीलों की साझेदारी फर्म अथवा वैयक्तिक वकील द्वारा निम्नांकित को विधायी सेवाएँ :–

(i) विधायी सेवाएँ प्रदानकर्ता एक वकील या वकीलों की साझेदारी फर्म,

(ii) व्यावसायिक संस्था को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति, या

(iii) ऐसी व्यावसायिक संस्था जिसकी विगत वित्तीय वर्ष में कुल बिक्री ₹ 20 लाख से अधिक न हो (विशिष्ट श्रेणी वाले राज्यों की स्थिति में ₹ 10 लाख)

(iv) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघीय क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था।

(c) वरिष्ठ वकील विद्यार्थी सेवाओं के रूप में–

(i) एक व्यावसायिक संस्था को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति, या

(ii) ऐसी व्यावसायिक संस्था जिसकी विगत वित्तीय वर्ष में कुल बिक्री ₹ 20 लाख से अधिक न हो (विशिष्ट श्रेणी वाले राज्यों की स्थिति में ₹ 10 लाख),

(iii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघीय क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी संस्था।

विश्लेषण (Analysis)

उपयुक्त परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं :

❒ **कानून सेवा** : का आशय कानून की किसी शाखा में, किसी रूप में सलाह, परामर्श या सहायता के सम्बन्ध में प्रदत्त किसी सेवा से है तथा इसमें न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण सेवाएँ शामिल होती हैं।

❒ **वकील** का आशय वकील अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी पंजीकरण में प्रविष्ट किसी वकील से है [वकील अधिनियम, 1961 की धारा 2 (1) (a)]।

❒ **पंचायती ट्रिब्यूनल** का आशय एकल न्यायकर्ता या न्यायकर्ताओं के समूह से है [अधिकरण एवं समाधान अधिनियम, 1996 की धारा 2(d)]

❒ **वरिष्ठ वकील** : एक वकील इसकी सहमति में वरिष्ठ वकील पदस्थ किया जा सकता है यदि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का यह मत हो कि इनको बाद में धारित योग्यता के कारण या विधान में विशेष ज्ञान या अनुभव के कारण वह ऐसी प्रतिबन्धों के अधीन होंगे जो कि बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा विधायी पेशे के हित में निर्धारित है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

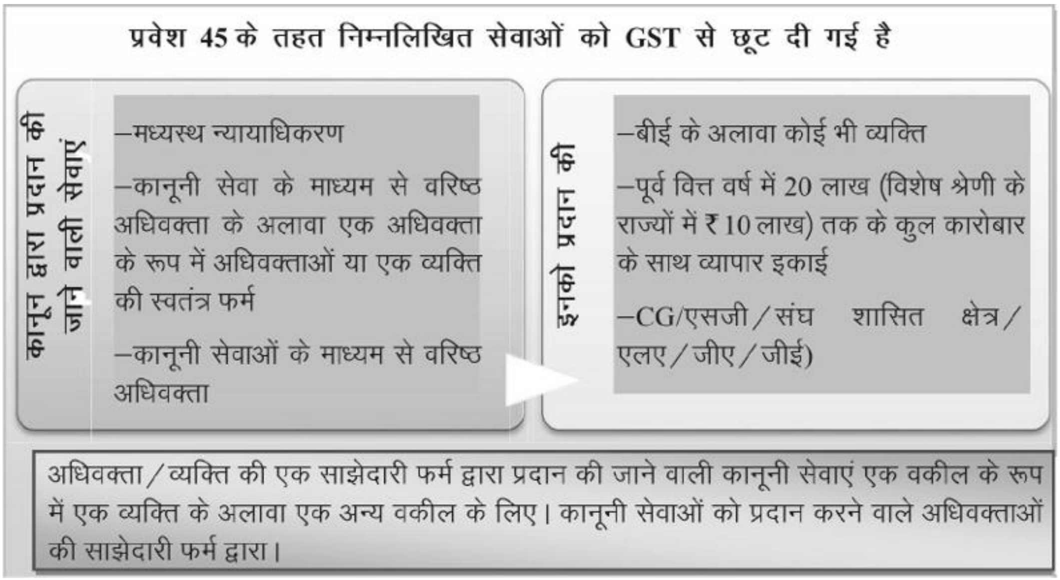

इस प्रकार पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में ₹ 20 लाख (विशेष श्रेणी के राज्यों में ₹ 10 लाख से अधिक/के साथ कुल कारोबार के साथ प्रदान की जाने वाली कानूनी सेवाएं GST के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा व्यवसाय इकाई द्वारा रिवर्स चार्ज के तहत ऐसी सेवाओं पर कर देय है।

18. खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (Spousorship of Sports Events)

प्रविष्टि-53 निम्नांकित द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं के प्रायोजन सम्बन्धी सेवाएं :

(a) राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशन या उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा जिसमें सहभागी टीम और खिलाड़ी किसी जिला, राज्य, जोन या देश का प्रतिनिधित्व करता है।

(b) भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन अन्तर विश्वविद्यालय खेल मंडल, भारतीय स्कूल खेल मंडल, भारतीय स्कूल खेल मंडल, अखिल भारतीय खेल परिषद् द्वारा बहरों, पैरालम्पिक समिति अथवा विशिष्ट ओलम्पिक भारत द्वारा

(c) केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाएँ सांस्कृतिक एवं खेल मंडल द्वारा :

(d) भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय खेलों के रूप में,

(e) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना के अधीन।

19. कौशल विकास सेवाएँ (Skill Development Services)

प्रविष्टि संख्या	सेवाओं का विवरण
69.	निम्नांकित द्वारा प्रदत्त कोई सेवा : (a) भारत सरकार द्वारा स्थापित 'राष्ट्रीय कौशल विकास निगम'

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(b) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा मान्य क्षेत्रीय कौशल परिषद्, (c) क्षेत्रीय कौशल परिषद् अथवा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा मान्य कोई मूल्यांकन संस्था, (d) राष्ट्रीय कौशल निगम अथवा क्षेत्रीय कौशल परिषद् द्वारा मान्य कोई प्रशिक्षण सहभागी, के सम्बन्ध में– (i) राष्ट्रीय कौशल निगम द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम अथवा (ii) राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन एवं मौद्रिक पुरस्कार योजना के अधीन कोई वृतिका कौशल विकास कोर्स अथवा (iii) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा क्रियान्वित अन्य कोई योजना।
70.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा केन्द्रीकृत सूचीबद्ध मूल्यांकन निकायों की सेवाएँ जिनका सम्बन्ध कौशल की योजना से हो।
71.	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अधीन (परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी) प्रशिक्षण प्रदानकर्ताओं द्वारा प्रदत्त सेवाएँ जो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वृत्तिका प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा प्रमाणित कौशल या वृत्तिका प्रशिक्षण कोर्स के सम्बन्ध में हो।

20. एक कलाकार द्वारा प्रस्तुति (Performance by an Artist)

प्रविष्टि 78 : किसी कलाकार इस लोक कला या प्राचीन कला रूप में निम्नांकित क्षेत्र में प्रदत्त सेवाएँ –

(a) संगीत या

(b) नृत्य या

(c) रंगमंच

यदि प्रतिकार्यक्रम के लिए वसूल प्रतिफल की राशि ₹ 1,50,000 से अधिक न हो, तो यह GST से विमुक्त होती है।

एक कलाकार द्वारा संगीत, नृत्य या रंगमंच के लोककला या प्राचीनकला रूपों में की गई गतिविधियाँ विमुक्त होती हैं, यदि प्रतिफल ₹ 1,50,000 से अधिक न हो, हालांकि, यदि ऐसी गतिविधियों से प्राप्त प्रतिफल ₹ 1,50,000 से अधिक हो तो सम्पूर्ण प्रतिफल GST के अधीन होती है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

साथ ही, अन्य कला प्रारूपों में एक कलाकार द्वारा अन्य सभी गतिविधियां जैसे कि पाश्चात्य संगीत या नृत्य आधुनिक रंगमंच, फिल्मों या टीवी धारावाहिकों में कलाकारों की अभिव्यक्ति कर योग्य होगी अचल कला रूपों में कलाकारों की समान गतिविधियाँ जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि करयोग्य होती हैं।

हालांकि, यह विमुक्ति ऐसे कलाकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रदत्त सेवा पर लागू नहीं होगी। 'ब्रांड एम्बेसडर' का आशय व्यापारिक नाम चिह्न या किसी व्यक्ति के घरचिह्न सहित माल, सेवा,सम्पत्ति या कार्ययोग्य दावे, आयोजन या नाम के विज्ञापन के ब्रांड के उन्नतिकरण या विपणन हेतु संलग्न व्यक्ति से है।

21. विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश का अधिकार (Right to Admission to Various Events)

प्रविष्टि सं.	सेवाओं का विवरण
79	किसी संग्रहालय राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व अथवा चिड़ियाघर** में प्रवेश रूपी सेवा। **चिड़ियाघर का आशय एक ऐसे स्थापन से है, चाहे चल हो या अचल, जहाँ जनता को प्रदर्शन हेतु पिंजडे में जानवरों को रखा जाता है। लेकिन इसमें सर्कस शामिल नहीं होता है तथा बंदी जानवरों में लाइसेंसधारी व्यापारी का प्रतिष्ठान (वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2(39)]
79A	प्राचीन स्मारकों एवं पुरातात्त्विक स्थानों एवं शेष अधिनियम 1958 या तत्प्रभावी किसी राज्य अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार से घोषित सुरक्षित स्मारक में प्रवेश द्वारा सेवाएँ।
81	निम्नांकित में प्रवेशाधिकार सम्बन्धी सेवाएँ : (a) सर्कस, नृत्य या रंगमंचीय कार्यक्रम ड्रामा या बैले सहित , (b) मान्य खेलकूद, आयोजन के अतिरिक्त पुरस्कार समारोह, संगीत कार्यक्रम, तमाशा, संगीतवादन या अन्य कोई खेलकूद गतिविधि, (c) मान्य खेलकूद आयोजन, (d) कृत्रिम नभोमण्डल जहाँ उपर्युक्त प्रविष्टियों (a), (b), (c) एवं (d) में उल्लिखित आयोजनों या स्थानों में प्रवेशाधिकार हेतु प्रतिफल ₹ 500 प्रति व्यक्ति से अधिक न हो। **मान्य खेलकूद आयोजन** का आशय किसी खेलकूद आयोजन से है – (i) जिसका आयोजन किसी मान्य खेलकूद निकाय द्वारा किया गया हो, जिसमें भाग लेने वाली टीमें या खिलाड़ी किसी जिले, क्षेत्र, राज्य या देश का प्रतिनिधित्व करते हों।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(ii) जो निम्न द्वारा आयोजित हो – (A) राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशन अथवा उसकी सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा, जिसमें सहभागी टीमें या खिलाड़ी किसी राज्य, जिला, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हों। (B) भारतीय विश्वविद्यालय ऐसोसिएशन अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद बोर्ड, भारतीय स्कूल खेल फेडेरेशन, बहरों की अखिल भारतीय खेलकूद परिषद्, भारतीय पैरालम्पिक परिषद् या स्पेशल ओलम्पिक भारत। (C) केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाएँ सांस्कृतिक एवं खेलकूद मंडल द्वारा (D) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय खेलों के रूप में, (E) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना (PYKKA) के अंतर्गत। **मान्य खेलकूद निकाय का आशय निम्न से है : (i) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन, (ii) भारतीय खेलकूद प्राधिकरण, (iii) केन्द्रीय सरकार के खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा मान्य राष्ट्रीय खेल फेडरेशन, (iv) खेलकूद एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा मान्य राष्ट्रीय खेलकूद प्रवर्तक संगठन, (v) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक एसोसिएशन या इसके द्वारा मान्य कोई फेडरेशन। (vi) नियमन करती है और उसकी सम्बद्ध फेडरेशन या निकाय जो भारत में खेलों का नियमन करती है।

22. अनियमित निकाय या लाभ निरपेक्ष संस्था द्वारा सेवाएँ (Services by an unincorporated body or a non-profit entity)

प्रविष्टि संख्या	सेवाओं का विवरण
77	तत्समय प्रभावी किसी विधान के अधीन पंजीकृत किसी अनियमित निकाय या लाभ निरपेक्ष निकाय द्वारा अपने सदस्यों को व्ययों की प्रतिपूर्ति अथवा अंशदान सहभागिता सम्बन्ध, निम्नांकित रूप में प्रदत्त सेवाएँ – (a) श्रम संघ के रूप में,

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(b) GST से मुक्त किसी गतिविधियों को चलाने के प्रावधान हेतु , या (c) किसी हाउसिंग सोसायटी अथवा रिहायशी परिसर में सदस्यों द्वारा सामान्य उपयोग हेतु किसी तृतीय पक्षकार से प्राप्त कोई माल या सेवाएँ जिनका मूल्य ₹ 7,500 प्रतिमाह प्रति सदस्य तक हो।
77A	तत्समय प्रभावी किसी विधान के अधीन पंजीकृत किसी अनिगमित निकाय या लाभ निरपेक्ष निकाय द्वारा निम्न में संलग्न में द्वारा (i) औद्योगिक या कृषि श्रम या कृषकों के कल्याण से सम्बन्धित गतिविधियाँ, या (ii) व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, कला विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, खेलकूद, शिक्षा सामाजिक कल्याण पुण्यार्थ गतिविधियों एवं पर्यावरण की सुरक्षा का उन्नतीकरण, जो अपने सदस्यों को ₹ 1,000 प्रति सदस्य प्रति वर्ष की राशि तक सदस्यता शुल्क के रूप में प्रतिफल के लिए प्रदत्त सेवाएँ।

विश्लेषण (Analysis)

सहकारी आवासीय समिति
(Co-operative Housing Society)

सहकारी आवासीय समितियाँ सम्बन्धित राज्यों के सहकारी नियमों के अधीन पंजीकृत संस्थाएँ होती हैं। ये व्यक्तियों का संगृहीत समूह होता है जो एक रिहायशी सोसाइटी में रहते हैं तथा एक संगृहीत समूह के रूप में, वे अपने सदस्यों को विशिष्ट सेवाओं की पूर्ति करते हैं, चाहे वह अपने सदस्यों से वैधानिक देय शुल्क एकत्र करना हो, तथा वह वैधानिक प्राधिकरणों को जमा करना, भवन का अनुरक्षण, सुरक्षा इत्यादि।

एक सहकारी आवासीय समिति एक क्लब के समान होती है, जो अपने सदस्यों से मिलकर बनती है। एक आवासीय समिति द्वारा अपने सदस्यों का प्रदत्त सेवा एक व्यक्ति द्वारा अन्य को प्रदत्त सेवा के रूप में मानी जाती है। आवासीय समिति की गतिविधियाँ GST को आकृष्ट करेंगी तथा आवासीय समिति को GST नियम का अनुसरण करना तथा पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

एक सहकारी आवासीय समिति द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर GST
(GST on services provided by a Co-operative Housing Society)

यदि आवासीय समिति की कुल बिक्री ₹ 20 लाख से अधिक है तो इसे CGST Act, 2017 की धारा 22 के अनुसार GST के अंतर्गत पंजीकरण लेना होगा। [अध्याय 7: पंजीकरण पर विस्तृत चर्चा हेतु देखें] हालांकि, पंजीकृत होने का यह आशय नहीं है कि आवासीय समिति को आवश्यक रूप से अपने सदस्यों के मासिक अनुरक्षण बिलों में GST लेना होगा। यदि इसके द्वारा प्रदत्त सेवाएँ विमुक्ति अधिसूचना के अंतर्गत विमुक्त हैं, तो इसे कथित गतिविधियों पर GST लगाना आवश्यक नहीं होता।

© The Institute of Chartered Accountants of India

उदाहरण के लिए, उपर्युक्त प्रविष्टि 77(c) के दृष्टिकोण से, एक समिति GST के अंतर्गत पंजीकृत हो सकती है, लेकिन यदि सदस्यों से प्राप्त मासिक प्रतिफल ₹ 7,500 से कम है (एवं यह राशि सदस्यों के सामान्य प्रयोग हेतु तृतीय पक्षकार से प्राप्त माल या सेवाओं के उद्देश्य हेतु होती है) तो समिति द्वारा बनाये गए मासिक बिल पर आवासीय समिति द्वारा कोई GST नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, यदि मासिक प्रतिफल ₹ 7,500 से अधिक हो, तो GST लागू होगा।

उदाहरण के लिए, यदि रखरखाव शुल्क प्रतिमाह ₹ 9,000 है तो, GST @ 18% ₹ 9,000 की पूरी राशि पर देय होगा और न कि (₹ 9,000 – ₹ 7,500) = ₹ 1,500[26]।

साथ ही, यदि समिति की कुल बिक्री सीमा रेखा से कम हो या यदि कुल बिक्री सीमा रेखा से अधिक हो, लेकिन अनुरक्षण हेतु वैयक्तिक सदस्यों का मासिक अनुदान ₹ 7,500 से कम हो (ये सेवाएँ विमुक्त होती हैं) तथा समिति अपने सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों को कोई अन्य करयोग्य सेवा प्रदान न कर रही हो, तो समिति को GST के अंतर्गत पंजीकरण लेना आवश्यक नहीं होता (आवश्यक रूप से पूर्णरूपेण विमुक्त सेवाएँ प्रदान करता)।

प्रविष्टि 77 में उल्लिखित ₹ 7,500 की मासिक सीमा

(Monthly limit ₹ 7,500 referred in Entry 77)

- उपर्युक्त मासिक सीमा ₹7,500[27] की गणना करते समय वैधानिक देय शुल्क जैसे कि सम्पत्तिकर, बिजली शुल्क इत्यादि, जो समिति द्वारा अपने सदस्यों को निर्गमित मासिक अनुरक्षण बिल का भाग होते हैं, वर्जित किए जायेंगे।

23. अन्य विमुक्त सेवाएँ (Other Exempt Services)

प्रविष्टि संख्या	सेवाओं का विवरण
2.	किसी प्रतिष्ठान या उसके स्वतंत्र भाग को चलित रूप में अन्तरण रूपी सेवाएं। चलित रूप में अंतरण का आशय एक चलित व्यवसाय का अन्तरण करना है जो क्रेता द्वारा एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में किये जाने हेतु योग्य होता है, लेकिन इसके अंतर्गत सेवा को समविष्ट किये हुए एक गतिविधि का अधिकांश या मुख्य अंतरण नहीं आता। पूर्ण रूपेण व्यवस्था के ऐसे विक्रय में अचल सम्पत्ति का विक्रय माल एवं अनिष्पादित आदेशों का अंतरण, कर्मचारी ख्याति इत्यादि व्यापक रूप से शामिल होंगे। क्योंकि स्वामित्व का अंतरण न सिर्फ अचल सम्पत्ति या माल या दोनों में स्वामित्व अंतरण है, यह सेवा हो सकती है और इसलिए विमुक्त की गई है। उदाहरण: रॉयल होटल ग्रुप रेस्टोरेन्ट की श्रृंखला चलाने का व्यवसाय करता है। यह अपने व्यापार को बेचना चाहता है। उसे अपने व्यापार के ऐसे विक्रय पर GST का भुगतान करना आवश्यक नहीं है।

[26] इस दृश्य को परिपत्र संख्या द्वारा 109/28/2019 द्वारा स्पष्ट किया गया है GST दिनांक 22.07.2019।

[27] मुख्य रूप से CBIC GST फ्लायर 'सहकारी आवासीय समितियों' पर GST तथा सहकारी समिति को सेवाओं की पूर्ति पर देय GST पर CBICFAQ पर आधारित है। फ्लायर एवं FAQ ₹ 5,000 की मासिक सीमा पर आधारित थे, जिन्हें बाद में ₹ 7,500 तक बढ़ा दिया गया। अतएव बढ़ी हुई मासिक सीमा उपर्युक्त पर्चा में मानी गई है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

9B	नेपाल एवं भूटान (बंदरगाह विहीन देश) को मार्गस्थ माल से जुड़ी सेवाओं की पूर्ति।
12	रिहायशी आवासीय इकाई को रिहाइश के लिए किराये पर देने की सेवाएँ।
14	किसी होटल, इन्स, अतिथि गृह, क्लब या शिविर क्षेत्र चाहे किसी भी नाम से जाना जाए द्वारा आवास या ठहरने के उद्देश्यों के लिए प्रदत्त सेवाएँ, जहाँ प्रति रिहायशी इकाई घोषित शुल्क कर ₹ 1,000 प्रतिदिन से कम हो।
22	किराये पर देने की सेवाएँ : (a) 12 से अधिक यात्री** परिवहन के लिए मोटर वाहन को राज्य परिवहन उपक्रम के लिए, या (b) माल परिवहन के लिए–माल न परिवहन एजेन्सी के लिए (c) पूर्व स्कूली शिक्षा तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समक्ष तक शिक्षा के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाले एक शैक्षणिक संस्थान के विद्यार्थियों, शिक्षकगण तथा कर्मचारी वर्ग के परिवहन की सुविधाएँ प्रदान करने वाले एक व्यक्ति को विद्यार्थी, शिक्षकगण एवं कर्मचारी के परिवहन हेतु मोटर वाहन। **उपर्युक्त प्रविष्टि की उपप्रविष्टि (a) के अंतर्गत विमुक्ति राज्य परिवहन उपक्रम को प्रदान सेवाओं पर लागू होती है एवं न कि सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अन्य विभागों पर। सामान्यतः ये राज्य परिवहन उपक्रम/संस्थाएँ नियमित परिवहकों को परिवहन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हैं। यदि परिवहन उपक्रम प्रतिफल के भुगतान पर निजी व्यक्तियों से पट्टा आधार पर बसों को किराये पर लेते हैं, तो ऐसे STU को मोटर वाहनों की पूर्ति द्वारा सेवाएँ कर के भुगतान से विमुक्त होती हैं। हालांकि, STU के अतिरिक्त सरकारी विभागों को मोटर वाहनों की पूर्तियाँ करयोग्य[28] होती हैं।
23	किसी सड़क या पुल पर टोल शुल्क के भुगतान पर पहुँच द्वारा सेवाएँ।
23A	वार्षिकी के भुगतान पर एक सड़क या पुल तक पहुँच द्वारा सेवा।
25	विद्युत संचारण/वितरण उपक्रम द्वारा बिजली का वितरण या संचालन हालांकि, इस सम्बन्ध में CBIC ने स्पष्ट किया है कि DISCOMS (वितरण कम्पनियों) इस प्रभारों के भुगतान पर ग्राहकों को प्रदत्त अन्य सेवाएँ GST हेतु देय हैं, जैसे कि–

[28] सरकारी सेवाओं पर CBIC FAQ का प्रश्न 26 द्वारा स्पष्ट।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	(i) बिजली के संबंधन के निर्गमन हेतु आवेदन शुल्क, (ii) मीटर उपकरण हेतु किराया प्रभार (iii) मीटर/ट्रांसफॉर्मर, कैपसिटर इत्यादि हेतु परीक्षण शल्क, (iv) मीटर के स्थानांतरण या सेवा लाइनों के स्थानांतरण हेतु ग्राहकों से श्रमिक प्रभार (v) प्रतिलिपि बिल हेतु शुल्क [परिपत्र संख्या 34/08/2018 GST तिथि 01.03.2018]
44	₹ 50 लाख तक एक वित्त वर्ष में कुल कारोबार वाले इन्क्यूवेटी द्वारा प्रदत्त सेवाएँ, निम्नांकित शर्तों के अधीन नामतः (a) पिछले वित्त वर्ष के दौरान कुल बिक्री ₹ 50 लाख से अधिक नहीं हो और (b) इन्क्यूवेटी के रूप में समझौता किये जाने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि समाप्त न हुई हो। **इन्क्यूवेटी** का आशय एक ऐसी उद्यमी से है जो विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, भारत सरकार (NSTEDB) के राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी उद्यम विकास परिषद् द्वारा मान्य तकनीकी व्यवसाय इन्क्यूवेटर (TBI) विज्ञान एवं तकनीकी उद्यम पार्क (STEP) के परिसर के अंतर्गत स्थित हो तथा जिसने IBI/STEP के साथ हाईटेक एवं प्रगतिशील उत्पादों के विकसित करने तथा बनाने हेतु स्वयं
47A	भारत के भोजन सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा भोजन व्यवसाय संचालकों को अनुज्ञापत्र पंजीकरण, पूर्ति किए गए भोजन नमूनों के विश्लेषण या परीक्षण द्वारा प्रदत्त सेवाएँ।
48	भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (BIRAC) के तहत, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त, NSTEDB या जैव–इन्क्यूबेटरों द्वारा मान्यता प्राप्त एक TBI/STEP द्वारा कर योग्य सेवाएं प्रदान या प्रदान की जाती हैं।
49	यूनाइटेड न्यूज ऑफ इण्डिया या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया या स्वतंत्र पत्रकार द्वारा समाचारों के संग्रहण या प्रदाननीय सेवाएँ।
50	किसी पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा पुस्तकों प्रकाशनों या अन्य ज्ञानवर्धक विषय–वस्तु या सामग्री की उपलब्धि सेवाएँ।
52	भारत से बाहर आयोजित व्यावसायिक प्रदर्शनी के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को उसके आयोजक द्वारा प्रदत्त सेवाएँ।
56	पशुवधिकरण सेवाएँ।

© The Institute of Chartered Accountants of India

57	फलों या वनस्पतियों की निम्नांकित सेवाएँ–प्रीकन्डीशनिंग, प्रीकूलिंग, राइपनिंग, बैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेवलिंग जिनसे उपर्युक्त फलों या सब्जियों की मौलिक विशेषताओं में कोई परिवर्तन या रूपान्तरण नहीं होता।
58	कृषि सहकारिता और कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन कोल्ड चेन विकास हेतु राष्ट्रीय सेंटर द्वारा कोल्ड चेन ज्ञान फैलाव के रूप में प्रदत्त सेवाएँ।
59	भारत स्थित किसी विदेशी कूटनीतिज्ञ मिशन द्वारा सेवाएँ।
65A	RTI अधिनियम (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के माध्यम से सेवाएँ
68	मान्यता प्राप्त खेल निकाय को प्रदत्त सेवाएँ, (a) खिलाड़ी, रेफरी, अम्पायर, कोच या टीम प्रबन्धक द्वारा किसी मान्य खेल निकाय द्वारा आयोजित खेलकूद आयोजन के सम्बन्ध में, (b) अन्य मान्य खेल विकाय द्वारा। हालांकि, चयनकर्ताओं, व्यक्तियों, निरीक्षकों तकनीकी विशेषज्ञों के रूप में व्यक्तियों द्वारा सेवाएँ कर योग्य होती हैं। एक फ्रेंचाइजी को खिलाड़ी की सेवा जो कि एक मान्य खेलकूद निकाय नहीं है, भी करयोग्य होती है। 'मान्य खेलकूद निकाय' की परिभाषा इस अध्याय के पूर्व में परिभाषित की गई है।
75	किसी सामान्य बायो–मेडीकल वेस्ट ट्रीटमेंट सुविधा प्रदायक द्वारा प्रदत्त सेवाएँ, जो किसी चिकित्सकीय संस्थान को उनके बायो–मेडीकल वेस्ट के उपचार, विस्तारण अथवा प्रक्रियाकरण से सम्बन्धित हो।
76	गुसलखाना, वॉशरूम, मूत्रालय, टॉयलेट, लेवेटरी सुविधाओं के रूप में जनसुविधाएँ प्रदान करने सम्बन्धी सेवाएँ।

टिप्पणी : इस विमुक्ति अधिसूचना के उद्देश्य हेतु, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एवं पंजीकृत "सीमित दायित्व साझेदारी" भी साझेदारी फर्म या फर्म के रूप में मानी जाएगी।

छात्र यह नोट कर सकते हैं कि GST से छूट प्रदान करने वाली कुछ प्रविष्टियां नकारात्मक सूची प्रविष्टि/पूर्ववर्ती सेवा कर कानून के तहत छूट देने वाली प्रविष्टि के समान है।

इसलिए, 'सेवा कर शिक्षा मार्गदर्शिका' में दी गई नकारात्मक सूची प्रविष्टि छूट से संबंधित स्पष्टीकरण—हितधारकों को प्रावधानों की प्रारंभिक समझ प्राप्त करने की सुविधा के लिए जारी की गई एक शैक्षिक सहायता जहां यह GST कानून के तहत प्रासंगिक लगता है, वहां प्रासंगिक स्थान पर शामिल किया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

5. आओ दोहराएं (Let us Recapitulate)

1. कर से विमुक्ति की शक्ति (धारा 11 CGST Act/ धारा 6IGST Act)

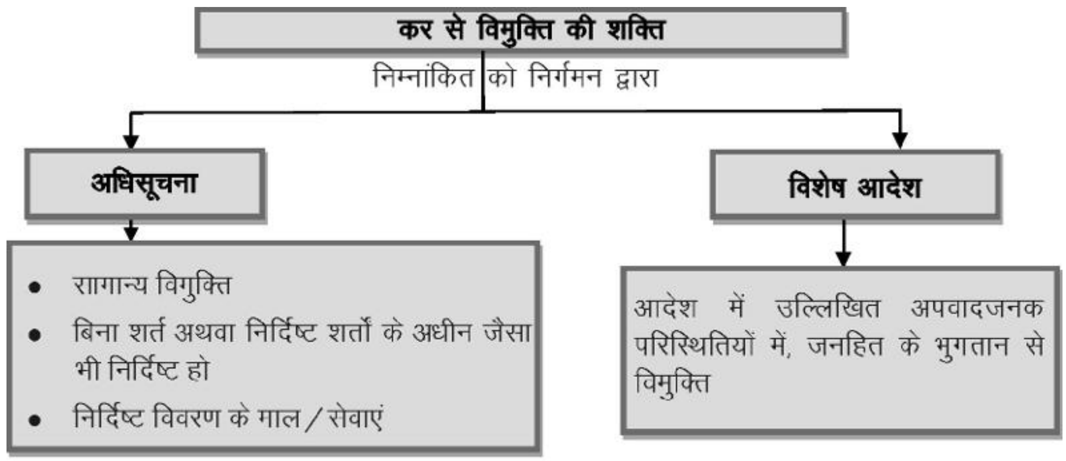

2. GST से छूट प्राप्त सेवाओं की सूची

सेवाएं	छूट वाली सेवाएं
धर्मार्थ और धार्मिक गतिविधियों से संबंधित सेवाएं	आयकर अधिनियम की धारा 12AA के तहत पंजीकृत एक संस्था द्वारा धर्मार्थ गतिविधियां एक व्यक्ति द्वारा सेवाएं— (a) किसी भी धार्मिक समारोह का आयोजन; (b) एक धार्मिक स्थान के पूर्ववर्ती के किराए का मतलब आम जनता के लिए है, जो संस्थानों/संस्थाओं/ट्रस्टों द्वारा स्वामित्व/प्रबंधित है, जो आयकर अधिनियम या निकाय/प्राधिकरण की धारा 12AA/10(23)(c)(v) के तहत पंजीकृत है और धारा 10(23 BBA) के तहत आता है। उक्त अधिनियम को छोड़कर, जहां— (i) कमरे किराए पर लेने का शुल्क ≥ ₹ 1,000 प्रतिदिन (ii) परिसर, सामुदायिक हाल, कल्यान मंडपम, खुले क्षेत्र आदि के किराए के लिए शुल्क ≥ ₹ 10,000 प्रतिदिन। (iii) व्यवसाय/वाणिज्य के लिए दुकानों/स्थानों को किराए पर लेने का शुल्क ≥ ₹ 10,000 प्रतिमाह है।
	धार्मिक यात्रा के संबंध में एक निर्दिष्ट संगठन (KMUN) हज समिति द्वारा सेवाएं (हज और कैलाश मानसरोवर यात्रा)।
	आयकर अधिनियम की धारा 12AA के तहत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा (ए)

© The Institute of Chartered Accountants of India

	कला/संस्कृति, या (बी) से संबंधित मनोरंजक गतिविधियों में प्रशिक्षण कोचिंग।
कृषि संबंधी सेवाएं	चावल की लदाई, उतराई, पैकिंग, भंडारण या मालगोदामी
	लघु वनोपजों का भण्डारण
	कृषि उपज के गोदाम में धूम्रीकरण।
	पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान (घोड़ों के अलावा)।
	भोजन, फाईबर, ईंधन, कच्चे माल या अन्य इसी तरह के उत्पादों या कृषि उत्पादों के लिए पौधों की खेती और (घोड़ों को छोड़कर) जानवरों के पालन–पोषण के संबंध में एक मध्यवर्ती उत्पादन प्रक्रिया का काम करते हैं।
	पौधों की खेती और जानवरों के पालन से सम्बन्धित सेवाएं (घोड़ों को छोड़कर) भोजन फाईबर, ईंधन, कच्चे माल या अन्य इसी तरह के उत्पादों या कृषि उत्पादों के लिए— (a) खेती, कटाई, थ्रेसिंग, पौधों की सुरक्षा या परीक्षण सहित किसी भी कृषि उपज के दौरान उत्पादन से सीधे संबंधित कृषि कार्य, (b) खेत श्रम की आपूर्ति, (c) एक कृषि फार्म पर प्रक्रियाएं, जिसमें झुकाव, छंटाई आदि शामिल है और ऐसे कार्य जो कृषि उपज की आवश्यक विशेषताओं को परिवर्तित नहीं करते हैं लेकिन यह केवल प्राथमिक बाजार के लिए बिक्री योग्य बनाते हैं; (d) किराए पर या इसके उपयोग के लिए आकस्मिक रूप से बिना कृषि मशीनरी या खाली भूमि के पट्टे पर; (e) कृषि उपज का लदाई, उतराई, पैकिंग, भंडारण या मालगोदामी (f) कृषि विस्तार सेवाएं (g) किसी भी कृषि उपज विपणन समिति या बोर्ड द्वारा सेवाएं या कृषि उत्पादों की बिक्री/खरीद के लिए एक कमीशन एजेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं। (h) कृषि उपज के गोदाम में धूम्रीकरण के माध्यम से सेवाएं।
शिक्षा सेवाएं	एक शैक्षिक संस्थान (EI) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं; • अपने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए; • प्रवेश शुल्क के रूप में प्रतिफल के खिलाफ प्रवेश परीक्षा के संचालन के माध्यम से

© The Institute of Chartered Accountants of India

	ईआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं– (i) छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का परिवहन, (ii) केन्द्र सरकार (CG), राज्य सरकार (SG) या केन्द्र शासित प्रदेश (UT) द्वारा प्रायोजित किसी भी मिड–डे मील योजना सहित खानपान, (iii) सुरक्षा या सफाई या घर में रखने वाली सेवाएं जैसे कि ईआई ये छूट केवल पूर्व माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक की शिक्षा के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था पर लागू होती हैं।
	(iv) इस तरह के ईआई द्वारा प्रवेश, या परीक्षा के संचालन से संबंधित सेवाएं;
	(v) ऑनलाइन शैक्षिक पत्रिकाओं या पत्रिकाओं की आपूर्ति। यह छूट केवल शिक्षा के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थान पर लागू होती हैं, जो किसी भी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में लागू होता है।
स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	• नैदानिक प्रतिष्ठान/अधिकृत चिकित्सक/पैरा–मेडिक्स द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं • उपर्युक्त निर्दिष्ट के अलावा किसी भी व्यक्ति द्वारा एम्बूलेंस में से एक रोगी का परिवहन।
	इस तरह के संरक्षण के संबंध में कोई ब्लड बैंक या किसी अन्य सेवा द्वारा स्टेम सेल संरक्षण
	पशु/पक्षियों की स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में एक पशु चिकित्सा क्लिनिक द्वारा सेवा।
सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	संविधान के अनुच्छेद 243 W/243 G के तहत नगरपालिका/पंचायत को सौंपे गए किसी भी समारोह के संबंध में किसी भी गतिविधि के माध्यम से सरकारी प्राधिकरण (GA) द्वारा सेवाएं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	निम्नलिखित सेवाओं को छोड़कर (CG/SG/UT) स्थानीय प्राधिकरण (LA) द्वारा सेवाएं— (a) डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, जीवन बीमा और CG, SG, UT के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली एजेंसी सेवाएं; (b) एक बंदरगाह/हवाई अड्डे के अंदर/बाहर/एक विमान के संबंध में सेवाएं; (c) माल/यात्रियों का परिवहन; या [(a) से (c) इसके बाद निर्दिष्ट सेवाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है।] (d) ऊपर दी गई सेवाओं के अलावा कोई भी सेवा व्यावसायिक संस्थाओं को प्रदान की जाती हैं।
	पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में विशेष श्रेणी के राज्यों (SCS) के मामले में ₹ 20 लाख [₹ 10 लाख तक] के कुल कारोबार के साथ CG/SG/UT/LA द्वारा किसी व्यावसायिक इकाई (BE) को प्रदान की जाने वाली सेवाएं। यह छूट निर्दिष्ट सेवाओं और अचल संपत्ति सेवा के किराए पर लागू नहीं है।
	CG/SG/UT/LA द्वारा किसी अन्य CG/SG/UT/LA को प्रदान की जाने वाली सेवाएं। यह छूट निर्दिष्ट सेवाओं पर लागू नहीं है।
	CG/SG/UT/LA** द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं जहां ऐसी सेवाओं के लिए प्रतिफल ₹ 5,000 से अधिक नहीं है। यह छूट निर्दिष्ट सेवाओं पर लागू नहीं है। ** सेवा की निरंतर आपूर्ति के मामले में, यह छूट केवल वही लागू होगी, जहां इस तरह की सेवा के लिए लिया गया प्रतिफल वित्त वर्ष में ₹ 5,000 से अधिक नहीं है।
	सरकारी इकाई (GE) द्वारा (CG/ST/UT/LA/CG/SG/UT/LA द्वार निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति की सेवा की आपूर्ति CG/SG/UT/LA से प्राप्त अनुदान के रूप में प्रतिफल के विरुद्ध है।
	CGS/SG/वृद्धाश्रम द्वारा संचालित वृद्धाश्रम की सेवाएं, अपने निवासियों (प्रतिवर्ष $\geq$ 60 वर्ष) के प्रति आयकर अधिनियम की धारा 12AA के तहत पंजीकृत है, जो प्रति सदस्य प्रतिमाह ₹ 25,000 तक के प्रतिफल के अधीन है, बशर्ते कि प्रतिफल के अधीन शुल्क बोर्डिंग, लॉजिंग और रखरखाव के लिए शुल्क शामिल हैं।
	CG/SG/UT द्वारा अपने उपक्रमों या सार्वजनिक उपक्रमों को बैंकिंग कम्पनियों और वित्तीय संस्थानों से ऐसे उपक्रमों या सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋणों की गारंटी के माध्यम से आपूर्ति की जाती है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	CG/SG/UT/LA द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं— (a) किसी भी कानून के लागू होने के समय के लिए आवश्यक पंजीकरण; (b) फायर लाईसेंस सहित बड़े पैमाने पर श्रमिकों, उपभोक्ताओं या सार्वजनिकों की सुरक्षा या सुरक्षा या सुरक्षा से संबंधित परीक्षण, अंशमान सुरक्षा जांच या प्रमाणन, जो किसी भी कानून के तहत आवश्यक हो।
	पासपोर्ट वीजा, ड्राईविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण–पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के माध्यम से CG/SG/LA द्वारा प्रदान की गई सेवाएं।
	CG/SG/UT/LA द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं एक अनुबंध के गैर–प्रदर्शन को सहन करने के माध्यम से जिसके लिए जुर्माना तरल क्षति के रूप में प्रतिफल ऐसे अनुबंध के तहत CG/SG/UT/LA को देय है।
	सीजी/एसजी/यूटी/एलए द्वारा प्रदान की गई सेवाएं किसी व्यक्ति को पौधों की खेती और जानवरों को सभी जीवन रूपी पालन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के अधिकार के रूप में [घोड़ों को छोड़कर] भोजन, फाईबर, ईंधन, कच्चे माल के लिए या अन्य समान उत्पादों।
	मर्चेंट ओवरटाईम शुल्क के भुगतान पर निर्यात कार्गो आयात करने के संबंध में निरीक्षण या कंटेनर स्टाफिंग या इस तरह के अन्य कर्तव्यों के लिए कार्यालय समय के बाद या छुट्टियों के दौरान अधिकारियों की तैनाती के माध्यम से सीजी/एसजी/यूटी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं।
	निर्दिष्ट शर्तों के अधीन खनन पट्टे धारकों द्वारा भेजे गए खनिज पर एसजी की ओर से रॉयल्टी एकत्र करने के अधिकार को निर्धारित करने के तरीके के लिए एक एसजी से अतिरिक्त रॉयल्टी संग्रह ठेकेदार (ईआरसीसी) द्वारा आपूर्ति की गई सेवाएं।
	आरसीआई अधिनियम, 1992 के तहत पुनर्वास पेशेवरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, पुर्नवास, चिकित्सा या परामर्श और इस तरह की अन्य गतिविधि जो उक्त अधिनियम द्वारा कवर है, चिकित्सा प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों, CG/SG/UT**। एक इकाई द्वारा स्थापित पुनर्वास केंद्र आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA के तहत पंजीकृत हैं।**
निर्माण पर सेवाएं	निर्माण, कमीशन, स्थापना, पूरा करने, बाहर फिटिंग, मरम्मत, रखरखाव, नवीकरण के शुद्ध श्रम अनुबंध या नागरिक संरचना या किसी अन्य मूल कार्यों का परिवर्तन, लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण या हाउसिंग फॉर ऑल (शहरी) मिशन/प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वृद्धि से संबंधित है।
	कृषि उपयोग के लिए किसान/कृषि विशेषज्ञ के नलकूप तक बिजली वितरण नेटवर्क के निर्माण के लिए निर्माण, कमीशन या बुनियादी ढांचे के माध्यम से विद्युत वितरण उपयोगिताओं द्वारा आपूर्ति की गई सेवाएं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	निर्माण, इमारत, कमीशन या मूल कार्यों की शुद्ध श्रम संविदाएं एक आवासीय परिसर के एक हिस्से के बजाय एक एकल आवासीय इकाई से संबंधित हैं।
	एक डेवलपर को भूमि मालिक द्वारा भूमि की TDR, FSI, लंबी अवधि के पट्टे (प्रीमियम) की आपूर्ति इस शर्त के साथ छूट दी जाती है कि निर्माण किए गए फ्लैट पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने से पहले बेचे जाते हैं और उन पर कर का भुगतान किया जाता है। **टीडीआर, एफएसआई, लंबी अवधि के पट्टे (प्रीमियम) की छूट पूर्ण प्रमाण–पत्र के जारी होने के बाद बेचे जाने के मामले में वापस ले ली जाएगी, लेकिन इस तरह की निकासी किफायती घरों के मामले में मूल्य के 1% और किफायती घरों के अलावा के मामले में मूल्य के 5% तक सीमित होगी।**
यात्रियों के परिवहन की सेवाएं (सामान के साथ/बिना)	इस तरह की सेवाएं— (a) भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में या पश्चिम बंगाल के बाग डोगरा में स्थित एक हवाई अड्डे पर हवाई जहाज से उतरना या निकास करना; (b) यात्रियों को परिवहन के लिए, रेडियो के अलावा अन्य गैर–वातानुकूलित अनुबंध गाड़ी, पर्यटन, संचालित दौरे, चार्टर या किराये पर लेना; या (c) वातानुकूलित चरण गाड़ी के अलावा अन्य चरण की गाड़ी
	व्यवहार्यता गैप फंडिंग के रूप में प्रतिफल के अधीन, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस) हवाई अड्डे पर हवाई सेवा या समापन से सीजी को उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवाएं। यह छूट नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आरसीएस हवाई अड्डे के संचालन के प्रारंभ होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने तक ही लागू होगी।
	इस तरह की सेवाएं (a) प्रथम श्रेणी/एक वातानुकूलित कोच के अलावा एक वर्ग में रेलवे; (b) अंतर्देशीय जलमार्ग; (c) मेट्रो, मोनोरेल या ट्रामवे; (d) सार्वजनिक परिवहन, पर्यटन उद्देश्य के लिए मुख्य रूप से, भारत में स्थित स्थानों के बीच एक जहाज के अलावा; तथा (e) टैक्सी या ऑटो रिक्शा (ई–रिक्शा सहित)।

© The Institute of Chartered Accountants of India

<table>
<tr>
<td rowspan="4">माल परिवहन सेवाएं</td>
<td>माल के परिवहन के माध्यम से सेवाएं—
(a) सड़क सेवाओं को छोड़कर—
(i) माल परिवहन एजेंसी (GTA);
(ii) एक कूरियर एजेंसी;
(b) अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा।</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table>
<tr>
<td rowspan="2">रेल/पोत द्वारा ले जाने पर रेलवे उपकरण/सामग्री को छूट दी जाती है</td>
<td colspan="2">मालगाड़ी द्वारा ले जाने पर माल का परिवहन छूट देता है</td>
</tr>
<tr>
<td>जहां एक ही गाड़ी में भेजे गए कसाइनमेंट पर माल की ढुलाई के लिए प्रतिफल किया जाता है जो ≤ ₹ 1,500 है।</td>
<td>जहां एक एकल कसाईनर के लिए ऐसे सभी सामानों के परिवहन के लिए प्रतिफल किया गया जो ≤ ₹ 750 है।</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table>
<tr>
<td>रेल/जहाज/GTA द्वारा माल के परिवहन पर छूट</td>
<td>• कृषि उपज
• आटा, दाल और चावल सहित दूध, नमक और खाद्य अनाज
• जैविक खाद
• समाचार पत्र के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत समाचार पत्र या पत्रिकाएं</td>
<td>• रक्षा/सैन्य उपकरण
• राहत सामग्री प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं दुर्घटनाओं या दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए है।</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>जीटीए द्वारा एक अपंजीकृत व्यक्ति को सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें एक अपंजीकृत आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति भी शामिल है, प्राप्तकर्ता को छोड़कर, अर्थात्;
(a) फैक्ट्री अधिनियम के तहत पंजीकृत एक कारखाना,
(b) सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसाइटी,
(c) सहकारी समिति,
(d) बॉडी कॉरपोरेट और
(e) एओपी सहित साझेदारी फर्म
(f) पंजीकृत आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति।</td>
</tr>
</table>

© The Institute of Chartered Accountants of India

	GTA द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, माल ढुलाई में माल के परिवहन के माध्यम से— **(a) विभाग या CG/SG/UT की स्थापना; या** **(b) स्थानीय प्राधिकरण; या** **(c) सरकारी एजेंसियां जिन्होंने केवल धारा 51 के तहत कर में कटौती के उद्देश्य से पंजीकरण लिया है, न की वस्तुओं या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करने के लिए।**
बैंकिंग और वित्तीय	RBI द्वारा सेवाएं
	इस तरह की सेवाएं— (a) जमा, ऋण या अग्रिम में अब तक प्रतिफल ब्याज या छूट (क्रेडिट कार्ड सेवाओं में शामिल ब्याज के अलावा) के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया है; (b) बैंकों के बीच या विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलरों या बैंकों और डीलरों के बीच विदेशी मुद्रा की बिक्री या खरीद।
	प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट (BSBD) खाता धारकों को बैंकिंग कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं।
	क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड सेवा के माध्यम से लेन–देन किए गए एकल लेन–देन में ₹ 2,000 तक की राशि के निपटान के संबंध में किसी भी व्यक्ति को प्राप्त बैंक द्वारा सेवाएं।
	अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) के साथ एक बहु सेवाओं SEZ में स्थित वित्तीय सेवाओं के एक मध्यस्थ द्वारा सेवाओं को भारतीय रुपये के अलावा अन्य मुद्राओं में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए भारत के बाहर स्थित ग्राहक के लिए।
जीवन बीमा व्यवसाय की सेवाएं	पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDAI) द्वारा PFRDA अधिनियम, 2013 के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत वार्षिकी के माध्यम से ऐसी सेवाएं।
	सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधि द्वारा ऐसी सेवाएं क्रमशः सीजी के समूह बीमा योजनाओं के तहत सेना, नौसेना और वायु सेना के सदस्यों को दी जाती हैं।
	सीजी के समूह बीमा योजनाओं के तहत तटरक्षक बल के कर्मियों को नौसेना समूह कोष द्वारा ऐसी सेवाएं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	निम्नलिखित योजनाओं के तहत ऐसी सेवाएं— (a) जनश्री बीमा योजना; (b) आम आदमी बीमा योजना; (c) बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा अनुमोदित जीवन सूक्ष्म बीमा उत्पाद**, जिसमें अधिकतम ₹ 2,00,000 की राशि शामिल है; (d) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना; (e) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना; (f) प्रधानमंत्री जनधन योजना; (g) प्रधानमंत्री वय वंदन योजना।
सामान्य बीमा व्यवसाय	निम्नलिखित योजनाओं के तहत ऐसी सेवाएं— (a) छूट बीमा योजना; (b) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार[29] योजना के तहत मवेशी बीमा; (c) जनजातियों के बीमा के लिए योजना; (d) जनता व्यक्तिगत दुर्घटना नीति और ग्रामीण दुर्घटना नीति, (e) स्व–नियोजित महिलाओं के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना नीति; (f) कृषि पंपसेट और असफल वेल इश्योरेंस; (g) निर्यात ऋण बीमा पर एकत्रित प्रीमियर; (h) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित संरक्षित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWCIS); (i) जन आरोग्य बीमा पॉलिसी; (j) प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (PMFBY); (k) बीज फसल बीमा पर पायलट योजना; (l) मवेशी बीमा पर केंद्रीय क्षेत्र योजना; (m) सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना; (n) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना; (o) नारियल पाम बीमा योजना; (p) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना; (q) निरमा स्वास्थ्य बीमा योजना को ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मानसिक प्रतिशोध और विकलांग अधिनियम, 1999 के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट के प्रावधान के तहत गठित ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वित किया गया।

[29] earlier known as Integrated Rural Development Programme

© The Institute of Chartered Accountants of India

	उपर्युक्त (A) और (B) में निर्दिष्ट बीमा योजनाओं की पुनर्बीमा के माध्यम से सेवाएं।
निर्दिष्ट निकायों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं	कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) निगम द्वारा (ESI) अधिनियम, 1948 के तहत शासित व्यक्तियों की सेवाएं।
	कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत शासित व्यक्तियों को (EPFO) द्वारा प्रदान की गई सेवाएं।
	कोल माइंस प्रोविडेंट फंड और विधि प्रावधान अधिनियम 1948 द्वारा शासित व्यक्तियों के लिए सीएमपीएफओ द्वारा सेवाएं।
	प्रशासनिक शुल्क के रूप में प्रतिफल के अधीन अपने सदस्यों को एनपीएस ट्रस्ट द्वारा सेवाएं।
	IRDAI द्वारा 1999 से IRDAI अधिनियम के तहत बीमाकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाएं।
	सेबी द्वारा प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और विकास को बढ़ावा देने और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के माध्यम से सेवाएं प्रदान की गई हैं।
सेवा निवृत्त योजनाएं	योगदान के संग्रह के माध्यम से सेवाएं— • अटल पेंशन योजना • एसजी की कोई भी पेंशन योजना
व्यापार सुविधा/संवाददाता	निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा संबंधित क्षमताओं में सेवाएं— (a) अपने ग्रामीण क्षेत्र शाखा में खातों के संबंध में एक बैंकिंग कंपनी के लिए व्यापार सुविधा/व्यापार संवाददाता; (b) किसी भी व्यक्ति को एक बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पीडेंट के लिए एक मध्यस्थ के रूप में एंट्री (ए) में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में; या (c) ग्रामीण क्षेत्र में एक बीमा कंपनी के लिए व्यापार सुविधा/व्यवसाय संवाददाता।
सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवाएं	संविधान के अनुच्छेद 243G/243 डब्ल्यू के तहत पंचायत/नगर पालिका को सौंपे गए किसी भी समारोह के संबंध में किसी भी गतिविधि के माध्यम से CG/SG/UT/LA/GE को प्रदान की जाने वाली सेवाएं— • शुद्ध सेवाएं • माल और सेवाओं की समग्र आपूर्ति जिसमें माल की आपूर्ति का मूल्य उक्त

© The Institute of Chartered Accountants of India

<table>
<tr><td rowspan="6"></td><td>मिश्रित आपूर्ति के मूल्य का 25% से अधिक नहीं है।</td></tr>
<tr><td>कमीशन/मार्जिन के विरुद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्न केरोसिन, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से CG/SG/UT को उचित मूल्य की दुकानों द्वारा प्रदान की गई सेवा।</td></tr>
<tr><td>किसी भी बीमा योजना के तहत CG/SG/UT को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिसके लिए CG/SG/UT द्वारा कुल प्रीमियम का भुगतान किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत CG/SG/UT प्रशासन को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिसके लिए कुल व्यय CG/SG/UT प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>GST के कार्यान्वयन के लिए CG/SG/UT को GSTN द्वारा प्रदान की गई सेवाएं।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">पट्टादायी सेवाएं</td><td>30 वर्षों की लंबी अवधि के पट्टे या व्यवसाय के लिए अवसंरचना के विकास के लिए औद्योगिक भूखण्डों/भूखंडों के अधिक रूप में सेवा के संबंध में देय अग्रिम राशि; राज्य सरकार के औद्योगिक निकास निगमों या उपक्रमों द्वारा या किसी भी औद्योगिक/वित्तीय व्यावसायिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों डेवलपर्स को CGS/SG/UT का 50% या अधिक स्वामित्व रखने वाली किसी अन्य इकाई द्वारा प्रदान किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>भारतीय रेलवे वित्त निगम द्वारा भारतीय रेलवे को परिसंपत्तियों के पट्टे (बैगनों, कोचों, लोको सहित रोलिंग स्टॉक सम्पत्ति) की सेवाएं।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">कानूनी सेवा</td><td>
<table>
<tr><th>इनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं</th><th>इनको प्रदान की गई सेवाएं</th></tr>
<tr><td>• मध्यस्थ न्यायाधिकरण</td><td>बीई के अलावा कोई भी व्यक्ति</td></tr>
<tr><td>• कानूनी सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता के अलावा एक वकील के रूप में अधिवक्ताओं या एक व्यक्ति की साझेदारी फर्म</td><td>पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में ₹ 20 लाख (SCS में ₹ 10 लाख) तक के कुल कारोबार के साथ BE</td></tr>
<tr><td>• कानूनी सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता</td><td>CG/SG/UT/LA/GA/GE</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>अधिवक्ता/व्यक्ति की एक साझेदारी फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सेवाएं एक वकील के रूप में एक वकील के अलावा एक अन्य वकील के लिए/कानूनी सेवाओं को प्रदान करने वाले अधिवक्ताओं की साझेदारी फर्म द्वारा।</td></tr>
</table>

© The Institute of Chartered Accountants of India

खेल आयोजनों का प्रायोजन	खेल प्रतियोगिताओं के प्रयोजन का आयोजन— (a) एक राष्ट्रीय खेल महासंघ या उसके संबंध संघों द्वारा जहां प्रतिभागी दल या व्यक्ति किसी जिले, राज्य, क्षेत्र या देश का प्रतिनिधित्व करते हैं; (b) एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंटर–यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, अकर्ण अखिल भारतीय खेल परिषद, भारत की पैरांलपिक समिति या विशेष ओलम्पिक भारत; (c) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड द्वारा; खेल का प्रयोजन; (d) राष्ट्रीय खेलों के भाग के रूप में, भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा; या (e) पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना के तहत।
कौशल विकास सेवाएं	इनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं— (a) जीओआई द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी); (b) एनएसडीसी द्वारा अनुमोदित क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी); (c) एसएससी/एनएसडीसी द्वारा अनुमोदित आकलन एजेंसी; (d) एसएससी/एनएसडीसी द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण सहयोगी— (i) एनएसडीसी द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम; या (ii) राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार योजना के तहत व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम; या (iii) एनएसडीसी द्वारा कार्यान्वित कोई अन्य योजना।
	3D योजना के तहत मूल्यांकन के माध्यम से DGT, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय केंद्र द्वारा निकाले गये निकायों के मूल्यांकन की सेवाएं।
	ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित DDUGKY के तहत प्रशिक्षण प्रदाताओं (परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जीओई के माध्यम से कौशल प्रदान करना या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा प्रमाणित व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (NCVT)।
एक कलाकार द्वारा प्रदर्शन	संगीत या नृत्य/रंगमंच के लोक या शास्त्रीय कला रूपों में प्रदर्शन के माध्यम से एक कलाकार द्वारा सेवाएं, अगर इस तरह के प्रदर्शन के लिए लगाया गया प्रतिफल, ₹ 1,50,000 से अधिक नहीं है। यह छूट ब्रांड एंबेसडर के रूप में ऐसे कलाकारों द्वारा प्रदान की गई सेवा पर लागू नहीं होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

विभिन्न आयोजनों में प्रवेश का अधिकार	प्रवेश के माध्यम से सेवाएं— (i) संग्रहालय, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बाघ अभयारण्य या चिड़ियाघर (ii) प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958/राज्य अधिकारियों में से किसी के तहत संरक्षित स्मारक समय के लिए लागू। (iii) निम्नलिखित घटनाओं/स्थानों पर जहां प्रवेश के अधिकार के लिए प्रतिफल प्रति व्यक्ति 500 से अधिक नहीं है— (a) सर्कस, नृत्य या नाटक या नृत्य नाटक सहित नाटकीय प्रदर्शन, (b) अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, नुमाईश, म्यूजिकल परफॉरमेंस या किसी मान्यता प्राप्त स्पोर्टिंग इवेंट के अलावा कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट; (c) मान्यता प्राप्त खेल आयोजन; (d) तारामंडल।
निर्धारित निकाय या गैर–लाभकारी संस्था द्वारा सेवाएं किसी भी कानून के तहत पंजीकृत होने के समय के लिए	अनिर्दिष्ट निकाय/गैर–लाभकारी संस्था द्वारा अपने स्वयं के सदस्यों को प्रतिपूर्ति/अंशदान के रूप में सेवा— (i) एक मजदूर के संघ रूप में (ii) मुक्त मतिबोध प्रदान करने के लिए
	(iii) एक हाउसिंग सोसाइटी/आवासीय परिसर में अपने सदस्यों के सामान्य उपयोग के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से माल/सेवाओं के स्रोत के लिए प्रति सदस्य ₹ 7,500 की राशि तक।
	इस तरह की संस्था/निकाय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं (i) औद्योगिक/कृषि श्रमिकों या किसानों के कल्याण से संबंधित गतिविधियां; या (ii) व्यापार वाणिज्य उद्योग, कृषि, कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, खेल, शिक्षा, सामाजिक कल्याण धर्मार्थ गतिविधियों और पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देना, अपने स्वयं के सदस्यों के लिए सदस्यता शुल्क के खिलाफ ₹ 1,000 प्रति सदस्य प्रतिवर्ष।
अन्य छूट वाली सेवाएं	एक संपूर्ण या एक स्वतंत्र भाग के रूप में एक इकाई का स्थानान्तरण।
	नेपाल और भूटान (भूमि संबंधी देशों) को पारगमन कार्गो से जुड़ी सेवाएं।
	निवास के रूप में उपयोग के लिए आवासीय आवास के किराए के माध्यम से सेवाएं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	होटल, सराय, गेस्ट हाउस, क्लब या कैम्पसाईट, जो भी नाम से बुलाया जाता है, उसके द्वारा आवासीय या आवास उद्देश्यों के लिए सेवाएं प्रतिदिन 1,000 से नीचे या समकक्ष आवास की एक इकाई की आपूर्ति का मूल्य।
	भाड़े पर देने के तरीके से सेवाएं— (a) राज्य परिवहन उपक्रम (एसटीयू) के लिए, एक मोटर वाहन का मतलब 12 से अधिक यात्रियों को ले जाना है, या (b) एक जीटीए के लिए, माल के परिवहन का एक साधन; (c) छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के परिवहन के लिए मोटर वाहन, एक ऐसे व्यक्ति को, जो स्कूल से पूर्व शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक की शिक्षा के माध्यम से सेवाएं प्रदान करता है, एक शिक्षण संस्थान की छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के परिवहन की सेवाएं प्रदान करता है।
	टोल शुल्क/वार्षिकी के भुगतान पर सड़क या पुल तक पहुंच के रास्ते से सेवा।
	विद्युत् पारेषण/वितरण उपयोगिता द्वारा बिजली का प्रसारण/वितरण।
	एक वित्त वर्ष में ₹ 50 लाख के कुल कारोबार तक एक इनक्यूबेटी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं— (a) कुल कारोबार पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान ₹ 50 लाख से अधिक नहीं था; तथा (b) 3 साल की अवधि एक समझौते के रूप में प्रवेश करने की तारीख से समाप्त नहीं हुई है।
	खाद्य व्यापार संचालकों को FSSAI द्वारा आपूर्ति किए गए खाद्य नमूनों के लाइसेंस, पंजीकरण और विश्लेषण या परीक्षण के माध्यम से सेवाएं।
	BSTAC द्वारा मान्यता प्राप्त NSTEDB या जैव इनक्यूबेटर द्वारा मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर/विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता परिषद् (TBI/STEP) द्वारा कर योग्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं या प्रदान की जानी हैं।
	स्वतंत्र पत्रकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया द्वारा समाचार एकत्र करने या उपलब्ध कराने के माध्यम से सेवाएं।
	पुस्तकों, प्रकाशनों या किसी अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री या सामग्री के उधार के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालयों की सेवाएं।
	भारत के बाहर आयोजित व्यवसाय प्रदर्शनी के संबंध में किसी भी व्यक्ति को एक आयोजक द्वारा सेवाएं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

	जानवरों के वध के माध्यम से सेवाएं।
	प्री–कंडीशनिंग, प्री–कूलिंग, पकने, वैक्सिंग, रिटैल पैकिंग, फलों और सब्जियों की लेबलिंग के माध्यम से सेवाएं जो उक्त फलों या सब्जियों की आवश्यक विशेषताओं को परिवर्तित या परिवर्तित नहीं करती हैं।
	कोल्ड चेन ज्ञान प्रसार के माध्यम से कृषि, सहयोग और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कोल्ड चेन डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय केंद्र द्वारा प्रदान की गई सेवाएं।
	भारत में स्थित एक विदेशी राजनयिक मिशन द्वारा सेवाएं।
	आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान करने के माध्यम से सेवाएं।
	किसी मान्यता प्राप्त खेल निकाय (RSB) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं— (a) आरएसबी द्वारा आयोजित एक खेल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए खिलाड़ी रेफरी, अम्पायर, कोच या टीम मैनेजर के रूप में एक व्यक्ति; (b) एक और RSB
	सामान्य जैव–चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के संचालकों द्वारा जैव–चिकित्सा अपशिष्ट/आकस्मिक प्रक्रियाओं के उपचार। निपटान के माध्यम से एक नैदानिक स्थापना के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
	सार्वजनिक सुविधाओं के माध्यम से सेवाएं जैसे कि बाथरूम, वॉशरूम, शौचालय, मूत्रालय या शौचालय की सुविधा।

7. अपने ज्ञान को परखें (Test Your Knowledge)

1. .... के द्वारा यात्री परिवहन GST से मुक्त है—
   - (a) रेल में प्रथम श्रेणी
   - (b) रेल में वातानुकूलित कोच
   - (c) मेट्रो
   - (d) उपर्युक्त सभी
2. .... का GTA द्वारा माल गाड़ी में परिवहन GST से मुक्त है :
   - (a) कृषि उत्पाद
   - (b) जैविक खाद
   - (c) दूध
   - (d) उपर्युक्त सभी

© The Institute of Chartered Accountants of India

3. Debo पब्लिक स्कूल–शिक्षा संस्थान को प्रदत्त कौन–सी सेवाएं GST से विमुक्त हैं?

   (a) स्कूल के स्टाफ का परिवहन

   (b) स्कूल की सफाई

   (c) हायर सेकण्डरी परीक्षाओं के आयोजन सम्बन्धी सेवाएं

   (d) उपर्युक्त सभी

4. यात्रियों का परिवहन .... के द्वारा GST से विमुक्त है।

   (a) वातानुकूलित पड़ाव यात्रा

   (b) रेडियो टैक्सी

   (c) नगालैण्ड हवाई अड्डे पर समाप्त हवाई सेवा

   (d) उपर्युक्त सभी

5. निम्नांकित में से कौन सी डाक विभाग द्वारा प्रदत्त सेवा GST से विमुक्त है?

   (a) स्पीड पोस्ट

   (b) जीवन बीमा

   (c) एक्प्रेस पार्सल पोस्ट

   (d) उपर्युक्त में कोई नहीं

6. भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित फुटबाल मैच में एक व्यक्ति ने रेफरी की सेवाएं प्रदान की हैं, उसने एक स्थानीय खेल क्लब द्वारा आयोजित पुण्यार्थ फुटबाल मैच में भी भुगतान के बदले रेफरी की सेवाएँ प्रदान की हैं। विवेचना कीजिए क्या वह GST भुगतान के लिए दायी है।

7. RXL Pvt. Ltd. 'फोरऐवर यंग' नामक सौन्दर्य साबुन के निर्माता हैं। RXL Ltd. प्रा. लि. ने ब्रान्ड के प्रवर्तन के लिए एक आयोजन किया है। कु. अहाना कपूर, उसकी ब्रान्ड एम्बेसडर हैं, जो एक प्रमुख फिल्म अभिनेत्री है, उसने एक शास्त्रीय नृत्य उस आयोजन में प्रदर्शित किया है। ऐसे आयोजन से कुल प्राप्त राशि ₹ 1,20,000 किसी पुण्यार्थ संस्थान को दान कर दी जायेगी।

   क्या कु. अहाना कपूर को किसी भी GST का भुगतान करना आवश्यक होगा ?

© The Institute of Chartered Accountants of India

8. GST विधान के अधीन, निम्नांकित प्रत्येक स्वतंत्र पूर्ति के सम्बन्ध में, पंजीकृत पूर्तिकर्ता द्वारा प्रदत्त पूर्तियों का कर योग्य मूल्य निर्धारित कीजिए—

विवरण	**कुल ली गई राशि (₹)**
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA के अधीन पंजीकृत पुण्यार्थ ट्रस्ट द्वारा आयोजित योग शिविर में वसूल शुल्क	50,000
किसी बैंक की ग्रामीण शाखा के बचत खातों के सम्बन्ध में प्रदत्त सेवाओं के लिए व्यवसाय अभिकर्ता द्वारा वसूल राशि	1,00,000
स्टेम सेल्स के संरक्षण के लिए कोई ब्लड बैंक द्वारा वसूल राशि	5,00,000
मान्य खेलकूद संस्थान को उद्घोषक के रूप में, प्रदत्त सेवाओं के लिए वसूल राशि	5,20,000

9. क्या निम्नांकित स्वतंत्र पूर्तियों पर GST से विमुक्ति उपलब्ध है? परीक्षण कीजिए :

(i) किसी प्राइवेट परिवहन परिचालक द्वारा 'स्कॉलर बॉयज हायर सेकेण्डरी स्कूल' के विद्यार्थियों को स्कूल तक लाने/ले जाने सम्बन्धी प्रदत्त सेवाएं।

(ii) किसी शॉपिंग माल में जनसाधारण के लिए वाहन पार्किंग सेवा उपलब्ध कराने की गतिविधि।

10. राघव माल परिवहन एजेन्सी द्वारा निम्नांकित स्वतंत्र मामलों में परिवहन सम्बन्धी प्रदत्त सेवाओं के लिए क्या GST देय है? विवेचना कीजिए।

ग्राहक	**प्रदत्त सेवाओं की प्रकृति**	**वसूल राशि (₹)**
A	दूध का परिवहन	20,000
B	एकल मालगाड़ी में एक प्रेषण के अधीन पुस्तकों का परिवहन	3,000
C	एकल प्रेषिती के लिए मालगाड़ी में कुर्सियों का परिवहन	600

© The Institute of Chartered Accountants of India

7. उत्तर / संकेत (Answer/Hints)

1. (c) **2.** (d) **3.** (d) **4.** (c) **5.** (d)

6. किसी व्यक्ति द्वारा मान्य खेल संस्थान को प्रदत्त सेवाएं, अन्य के साथ रेफरी के रूप में किसी ऐसी खेल आयोजन में जिसका आयोजन मान्य खेल संस्थान ने किया हो GST से विमुक्त है।

चूँकि प्रथम मामले में, फुटबाल मैच का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा किया गया है, जो कि मान्य खेल संस्थान है, ऐसे फुटबाल मैच में किसी व्यक्ति द्वारा रेफरी के रूप में प्रदत्त सेवाएं कर मुक्त हैं।

तथापि, जब वह स्थानीय खेल क्लब द्वारा आयोजित फुटबाल मैच में, रेफरी के रूप में सेवाएं प्रदान करता है, वह उपर्युक्त वर्णित विमुक्ति का अधिकारी नहीं है, क्योंकि आयोजनकर्ता क्लब मान्य खेल संस्थान नहीं है, और इस प्रकार वह GST भुगतान के लिए इस मामले में दायी होगा।

7. किसी कलाकार द्वारा लोक कला या शास्त्रीय कला रूपों में प्रदर्शन जिसका सम्बन्ध (i) संगीत या (ii) नृत्य या (iii) रंगमंच से हो GST से विमुक्त है, यदि ऐसे प्रदर्शन के लिए वसूल प्रतिफल की राशि ₹ 1,50,000 से अधिक नहीं हो। तथापि, ऐसी विमुक्ति ब्रान्ड एम्बेसडर रूपी कलाकार द्वारा प्रदत्त सेवा के लिए उपलब्ध नहीं है।

चूँकि कु. अहाना कपूर, 'फोरऐवर यंग' नामक सौन्दर्य साबुन की ब्रान्ड एम्बेसडर हैं, जिनका निर्माण RXL प्रा. लि. द्वारा किया जाता है, उसके द्वारा शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन, RXL प्रा. लि. द्वारा आयोजित सभा में किया गया है, जिसका उद्देश्य साबुन का ब्रान्ड प्रमोशन है। अतः उपर्युक्त वर्णित कर मुक्ति के लिये वह पात्र नहीं है, और इस प्रकार GST के लिए दायी है।

यह तथ्य कि प्राप्त राशि पुण्यार्थ संस्थान को दान कर दी जायेगी इसका कोई प्रभाव देयता या विमुक्ति पर नहीं होता।

8. **करयोग्य पूर्ति की कीमत की गणना**

विवरण	**राशि (₹)**
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA के अंतर्गत पंजीकृत पुण्यार्थ ट्रस्ट द्वारा योग शिविर के लिए वसूल राशि (नोट-1)	शून्य
व्यवसाय अभिकर्ता द्वारा बैंक की ग्रामीण शाखा के बचत खातों सम्बन्धी सेवाओं की वसूल राशि (नोट-2)	शून्य
कोई ब्लड बैंक द्वारा स्टेमशेल्स संरक्षण शुल्क (नोट-3)	शून्य
मान्य खेल संस्थान के लिए उद्घोषक रूपी सेवाएं (नोट-4)	**5,20,000**

© The Institute of Chartered Accountants of India

टिप्पणियाँ—

1. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA के अधीन पंजीकृत कोई निकाय द्वारा पुण्यार्थ गतिविधियाँ GST से विमुक्त हैं। योग विस्तार सम्बन्धी सेवाएं पुण्यार्थ गतिविधियों में शामिल हैं। अतः ऐसी सेवाएं प्रदत्त GST से मुक्त हैं।
2. किसी व्यवसाय अनुदेशक/अभिकर्ता की सेवाएं किसी बैंकिंग कम्पनी को उसकी ग्रामीण शाखा में बचत खातों सम्बन्धी प्रदत्त GST से मुक्त है।
3. कोई ब्लड बैंक द्वारा स्टेम शेल्स के संरक्षण सम्बन्धी अथवा इस सम्बन्ध में अन्य कोई सेवा GST से विमुक्त है।
4. किसी मान्य खेल संस्थान को किसी व्यक्ति द्वारा रेफरी, खिलाड़ी, अम्पायर, कोच या टीम मैनेजर के रूप में प्रदत्त सेवाएं, ऐसी मान्य संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में GST से कर मुक्त होती है। उद्घोषक द्वारा प्रदत्त सेवाएं विमुक्ति की श्रेणी में नहीं है अतः GST के अधीन कर योग्य हैं।

9. (i) हां, किसी शैक्षणिक संस्थान को उसके छात्रों के परिवहन सम्बन्धी सेवाएं GST से कर मुक्त हैं।

(ii) नहीं, जनसाधारण के लिए वाहन पार्किंग की सेवाएं कर मुक्त नहीं हैं। अतः उन पर GST देय है।

10.

ग्राहक	प्रदत्त सेवाओं की प्रकृति	वसूल राशि (₹)	कर देयता
A	दूध का परिवहन	₹ 20,000	करमुक्त। माल परिवहन एजेन्सी द्वारा दूध परिवहन कर मुक्त है।
B	एकल मालगाड़ी में प्रेषण अधीन पुस्तकों का परिवहन	₹ 3,000	GST देय है। विमुक्ति तभी उपलब्ध है जब माल के परिवहन से प्राप्त प्रतिफल एकल माल गाड़ी में ₹ 1,500 से अधिक नहीं हो
C	एकल प्रेषिती के लिए मालगाड़ी में कुर्सियों का परिवहन	₹ 600	कर मुक्त है। एकल प्रेषिती को प्रेषित सभी माल के परिवहन सम्बन्धी प्रतिफल ₹ 750 से अधिक नहीं होने पर, विमुक्ति उपलब्ध है।

© The Institute of Chartered Accountants of India